कुरुक्षेत्र

अगस्त 1979

मूल्य 50 पैसे

संपादकीय

कलंक का टीका

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश की गरीबी दूर करने की अनेक योजनाएं बनीं, अनेक कार्यक्रम बने और इन पर करोड़ों अरबों का धन खर्च किया गया परन्तु बेचारा खेतिहर मजदूर अपनी गरीबी की रेखा पर जहां का तहां है । छोटे और सीमान्त किसानों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है और सेठ-साहूकारों से लिए गए कर्ज में दबे ये अपनी जमीन-जायदादों से वंचित हो कर प्रतिवर्ष 15 लाख की दर से खेतिहर मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं । ज्यादा दूर न जाकर यदि 1964-65 से 1974-75 के दशक की स्थिति का जायजा लें तो पता चलता है कि इस अवधि में खेतिहर मजदूरों की संख्या 310 लाख से बढ़ कर 460 लाख हुई और 1977-78 में आकर यह 560 लाख हो गई । इतना ही नहीं, जहां पहले इनकी दैनिक मजदूरी की औसत 1 रु० थी वहां अब यह घट कर 88 पैसे ही रह गई है । विनोबा जी ने ठीक ही कहा है कि, "गरीबों को जो सहायता पहुंचाना चाहते हैं वह गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाती" सहायता उन्हीं को पहुंचती है जो सहायता की रस्सी में जोर लगा कर उसे अपनी ओर खींच लेते हैं । सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लाभ ग्रामीण समाज के ऊपर के लोगों तक ही रुके रह जाते हैं और जो वास्तव में जरूरतमंद हैं उन निर्धनों तक नहीं पहुंच पाते, जरूरत है कि वे उन तक पहुंचें। जब निर्धनों के प्रति करुणा न हो तो जो भी सहायता ऊपर से आती है चाहे वह कितनी ही कम या ज्यादा क्यों न हो, केवल ऊपर के लोगों तक ही सीमित रह जाती है ।"

गांवों में सिंचाई के साधन विकसित किए गए, सड़कें बनाई गईं, कृषि के लिए उर्वरक आदि आदान उपलब्ध किए गए, पढ़ाने-लिखाने की व्यवस्था की गई । उन सबका लाभ किनको मिला ? केवल उन्हीं बड़े किसानों को जो बड़ी-बड़ी जमीन जायदादों के मालिक हैं । यह स्थिति बड़ी दुखद है और जरूरत इस बात की है कि गरीबी दूर करने के नाम पर जो योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जाएं उनको ऐसा रुख दिया जाए कि उनका लाभ गरीबों को ही मिले और बड़े लोग खींच कर उसे हथिया न सकें।

बन्धुआ मजदूर

बंधुआ मजदूर तो और भी गई गुजरी हालत में है। तीन वर्ष पूर्व बंधुआ मजदूरी की प्रथा को कानूनन खत्म कर दिया गया था परन्तु इसके चंगुल में फंसे लोगों को इतना भी पता नहीं कि इनकी जंजीरें टूट चुकी हैं । अभी ही हाल में गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि देश के 10 राज्यों में, जिनमें कर्नाटक का स्थान सर्वोपरि है, बन्धुआ मजदूरों की संख्या 22 लाख से ऊपर है । यह ठीक है कि कानूनी रूप से तो बन्धुआ मजदूरी की प्रथा, खत्म हो चुकी है, पर इसे असली अर्थ में खत्म करने की जरूरत है । इसके लिए सर्व प्रथम उन लोगों को दण्डित करने की व्यवस्था की जाए जो इन्हें बन्धुआ बना कर रखते हैं, दूसरे इन में जागरूकता लाई जाए जिससे वे अपने अधिकारों को पाने में समर्थ हों और हीनता की भावना से मुक्ति पा सकें । तीसरे इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और इन्हें आर्थिक सहायता देकर अपनी रोजी-रोटी कमाने के योग्य बनाया जाए । बन्धुआ मजदूरी खत्म करने का जो कानून बनाया गया है उसे सख्ती से अमल में लाया जाए। बन्धुआ मजदूरी एक अभिशाप है और यह हमारे राष्ट्र के माथे पर कलंक का टीका है। ⁕

कुरुक्षेत्र

वर्ष 24 श्रावण-भाद्रपद-1901 अंक 10

इस अंक में : **पृष्ठ संख्या**

विकास कार्य के साथ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय — 2
श्री बी० के० शर्मा

पश्चिम बंगाल में सोवियत सरीखी पंचायतें—एक अनोखा परीक्षण — 4
एस० एन० भट्टाचार्य

समस्या बेरोजगारी से निपटने की — 7
सतीश कुमार जैन

ग्रामीण विकास तथा स्वयं सेवी संगठन — 11
भवानी शंकर शर्मा

मद्य-निषेध और गान्धी जी — 13
महाराज

ग्रामीण विकास का विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध — 15
एन० वी० रत्नम

दालों का उत्पादन बढ़ाएं, खाएं और शरीर बनाएं — 18
बटुकेश्वर दत्त सिंह 'बटुक'

बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए लाड़-प्यार एक संजीवनी — 21
शिवचरण गुप्ता

काम के बदले अनाज योजना की भूमिका — 23
श्री गोविन्द आर्य

विकास खण्ड इंदौर के बढ़ते चरण — 25
रामेश्वर पटेल

मधुमक्खी पालन : एक लाभ-दायक धन्धा — 27
शकुन्तला धवन

परिवार नियोजन के लिए जनसम्पर्क — 29
हरदयाल सिंह भट्नागर

कृषक चिरन्तन गीतकार है (कविता) — 31
रमाकान्त दीक्षित

पहला सुख निरोगी काया — 32
वैद्य रघुनन्दन प्रसाद साहु

साहित्य समीक्षा — 33

केन्द्र के समाचार — 35

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के दो-ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि और सिंचाई मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे — वार्षिक चंदा 5.00 रु०

सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह

उप सम्पादक : कु० शशि चावला
मोहन चन्द्र मन्टन

आवरण पृष्ठ : परमार

चित्र : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सौजन्य से

विकास कार्य के साथ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय

श्री बी० के० शर्मा, संयुक्त सचिव,
केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(ग्राम विकास विभाग)

मध्यवर्ती योजना 1978-83 में प्रौढ़ निरक्षता को समाप्त करने के लिए उच्च अग्रता प्रदान की गई है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, इस योजना अवधि के दौरान 650 लाख प्रौढ़ों को साक्षर बनाया जाना है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अवयव के रूप में भी प्रौढ़ साक्षरता को उल्लेखनीय स्थान दिया गया है। इसका उद्देश्य निरक्षर को पढ़ना, लिखना और गणित सिखाने के साथ-साथ उसकी कार्यात्मक कुशलता के स्तर को भी ऊंचा करना है। जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग जोकि अपने आप को जानने, अपने वातावरण, समाज आदि को समझने के लिए औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहा है, उसे इस योग्य बनाना है जिससे वह सोद्देश्य और समृद्ध जीवन बिता सके।

विकास के लिए साक्षरता एक अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है। वस्तुतः साक्षरता से आत्मविकास की प्रक्रिया का सूत्रपात होता है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जो व्यक्ति औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहे हैं, उन्हें विकास का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए विकास के लिए साक्षरता को प्रशिक्षण का एक अवयव बनाया गया है। किसान प्रशिक्षण और शिक्षा ऐसे प्रशिक्षण का एक ठोस कार्यक्रम है। इस समय देश में 150 किसान प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। किसान प्रशिक्षण और शिक्षण कार्यक्रम के तीन अवयव हैं। अर्थात् किसान प्रशिक्षण, किसान प्रसारण और कार्यात्मक साक्षरता।

किसान शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य प्रयोजन कृषि उत्पादकता में सुधार लाना है। इसके लिए किसानों के खेतों पर व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षित और अनुभवी कार्यकर्त्ताओं का घूमता-फिरता दल जिसके पास श्रव्य-दृश्य उपकरण और प्रदर्शन सामग्री होती है, देहाती इलाकों में जाता है और उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत तरीकों पर प्रशिक्षण शिविर लगाता है। किसानों को अपने विचार बताने और अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग, खेती की विधियों, उर्वरकों के प्रयोग, जल प्रबन्ध, पौध संरक्षण उपायों, कटाई बाद की टेक्नोलाजी आदि से सम्बन्धित सभी मसलों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, उन्हें खेतों को देखने तथा प्रगतिशील किसानों से मिलने और अपनी आंखों से कृषि के क्षेत्र में हुई प्रगति को देखने के लिए सुविधायें प्रदान की जाती हैं। रेडियो तथा टेलीविजन प्रसारणों के माध्यम से शिक्षण की इस प्रक्रिया को जारी रखा है। स्वयं किसानों को भी टेलीविजन और आकाशवाणी पर चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 31

कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किसान प्रशिक्षण और शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में किया गया है। इसका उद्देश्य निरक्षर किसानों को साक्षर बनाना है। इस कार्यक्रम की अवधि एक वर्ष है। साक्षर प्रवेशिका सरल सुबोध प्रादेशिक भाषाओं में तैयार करने का विचार है। इन प्रवेशिकाओं की विषय सूची में अधिक उपज देने वाली किस्मों की जानकारी, फार्म प्लान तैयार करने, फार्म लेखे रखने, आदानों का हिसाब लगाने, उधार लेने के लिए आवेदन पत्र लिखने जैसे विषय होंगे। इस तरह साक्षरता को प्रत्यक्ष रूप से किसानों की जरूरतों के साथ जोड़ा जायेगा जिससे यह कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए एक प्रभावशाली उपाय के रूप में कार्य कर सके।

समन्वित ग्राम विकास एक मुख्य कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देहाती क्षेत्रों का विकास करना है। चालू योजनावधि के दौरान, इसका लक्ष्य पूर्ण रोजगार सुलभ करना और इससे गरीबी का उन्मूलन करना है। यह कार्यक्रम मुख्यतया गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले देहाती लोगों के उत्थान पर केन्द्रित है। इन लोगों में छोटे और सीमान्त किसान, भूमिहीन-मजदूर देहाती कारीगर तथा बटाईदार आदि लोग शामिल हैं। इन में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या बहुत ही अधिक है। सम्भवतया यह ग्रामीण समुदाय का निर्धनतम वर्ग है।

बेरोजगारी, अल्प रोजगारी और गांव में गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करने पर विचार है। प्रयोजन के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसके लिए इकाई विकास खण्ड होगा। इस समय, देश 5,004 खण्डों में विभक्त है। इनमें से 2,600 खण्डों को चालू वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जायेगा, जिसका उद्देश्य तीन क्षेत्रों अर्थात् प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्रों का उपयोग करना है।

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए इनमें प्रशिक्षण देना स्वभावतः अनिवार्य है। इस प्रयोजन के लिए समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए उपलब्ध धन-

राशियों के उपयुक्त [illegible] किया गया है। स्वयं सेवी संगठनों और अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा किसान प्रशिक्षण केन्द्रों, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और प्रशिक्षण संस्थाओं का कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अद्यतन जानकारी देने के लिए उपयोग करने का विचार है। इसी प्रकार, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड आदि के अधीन चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, लघु उद्योग सेवा संस्थानों, पोलिक्लिनिकों, तकनीकी स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और प्रशिक्षण स्थापनों को भी देहाती लोगों को हुनर सिखाने के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। योग्य और प्रसिद्ध मास्टर क्राफ्टमेनों और कारीगरों को भी देहाती युवकों के लिए 'जाब' प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए कहा जाएगा। प्रशिक्षणार्थी को छात्रवृत्ति और प्रशिक्षक, को मानदेय देने, प्रशिक्षण के ऊपरी खर्चों, कच्चे माल आदि के लिए प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख ग्रामीण युवकों को लाना संभव होगा

इसी तरह, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत और एक लाख ग्रामीण युवकों को तकनीकी हुनर सिखाने के लिए चुनने का विचार है। प्रशिक्षण संरचना आधार का, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, इस प्रयोग के लिए उपयोग किया जाएगा। कुछेक परिष्कृत किस्म के हुनरों के बारे में न्यूनतम शिक्षा अर्हता रखना आवश्यक होगा लेकिन अन्य क्राफ्टों और हुनरों में दाखिला अशिक्षित युवकों को भी दिया जाएगा। यहां इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि क्या प्रौढ़ साक्षरता इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है अथवा नहीं। इस मसले पर शिक्षा मंत्रालय के साथ बहुत जल्द चर्चा की जाने की सम्भावना है।

ग्रामीण महिलाओं में साक्षर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इसलिए देहाती क्षेत्रों में महिलाओं को पढ़ना-लिखना और गणित सिखाने के लिए कार्यक्रम चलाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाना है। इस उद्देश्य के लिए समुचित पोषण मौजूदा कार्यक्रम का फायदा उठाया जा सकता है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पोषाहार शिक्षा देना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं को खासकर गरीब वर्गों की महिलाओं को आमदनी पैदा करने वाले कार्यों में शामिल करने के लिए ठोस उपाय करने होंगे ताकि वे कुछ अतिरिक्त आमदनी पैदा कर सकें। इस आमदनी का ज्यादातर भाग बच्चों, गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं आदि के पोषाहार पर खर्च किए जाने की संभावना है। प्रारम्भिक उपाय के रूप में, महिलाओं को विभिन्न ब्लाकों और शिल्पों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवयव के रूप में साक्षरता को शामिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस समय व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम देश के 1766 विकास खण्डों में चल रहा है। इनमें से 50 खण्डों में इस कार्यक्रम को सघन पैमाने पर चलाया जाना है। इसके अन्तर्गत, आमदनी पैदा करने वाली गतिविधियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना है। इसके लिए वित्तीय सहायता की राशि भी बहुत अधिक रखनी होगी। इससे आमदनी पैदा करने के कार्यों में प्रशिक्षण और साक्षरता के प्रभावी कार्यक्रम में मदद मिलनी चाहिए। यह कार्यक्रम चालू किया जा रहा है।

देश भर में लगभग 60,000 महिला-मण्डल हैं। ये मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में महिला गतिविधियों के लिए मंच सुलभ करते हैं। प्रत्येक महिला मण्डल अपना सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम तैयार करता है। साक्षरता कार्यक्रम को भी इस के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है। अलबत्ता, इस प्रयोजन के लिए आवश्यक पाठन और लेखन सामग्री की व्यवस्था करनी होगी।

सामुदायिक विकास के अधीन साक्षरता कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। प्रत्येक विकास खण्ड में एक समाज शिक्षा कार्यकर्त्ता अन्य कार्यों के साथ-साथ साक्षरता कार्य पैदा करने के लिए तैनात किया गया था। प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए नियमित कक्षाएं लगाई जाती थीं। बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकालय और वाचनालय खोले गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कार्यक्रम में पर्याप्त तेजी आई थी। यह बात तो थी कि निरक्षरता को समाप्त करने के लिए चारों तरफ जागरूकता थी लेकिन बाद में आर्थिक कार्यक्रमों पर बल दिया जाने लगा और और इस प्रक्रिया में धीरे-धीरे सामाजिक गतिविधियों में उत्साह लेना समाप्त हो गया। बहुत से राज्यों में समाज शिक्षा संगठन का पद या तो समाप्त कर दिया गया था या उसे अन्य विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया था। पूर्व भावना को फिर से लाना और पहले बनाए गए संरचना आधार को बहाल करना बुद्धिमत्तता होगी। ✱

अनुवादक कृष्ण कुमार

पश्चिम बंगाल में सोवियत सरीखी पंचायतें : एक अनोखा परीक्षण

✳ एस. एन. भट्टाचार्य

जब पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट) द्वारा संचालित वामपंथी मोर्चे ने, जून 1978 के त्रिस्तरीय चुनाव में बहुतायत से पंचायतों की सीटें हथिया लीं, तो एक पत्रिका ने नव निर्वाचित पंचायतों की तुलना रूसी क्रान्ति के बाद निर्मित सोवियत समितियों से की। पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की ही भांति, सोवियत समितियां भी गांवों, शहरों आदि में निर्वाचित की गई थीं। यह सच है कि पश्चिम बंगाल की पंचायतों के पास सोवियत समितियों की भांति सैनिक दल नहीं हैं लेकिन दोनों के ही पास अपनी-अपनी पार्टी के प्रशिक्षित संवर्ग हैं। गांव पंचायतों से लेकर जिला परिषदों तक अब एक सुनियंत्रित नेतृत्व व्यवस्था दिखाई देती है, जो कि अपने अधिकार के प्रति गंभीर और जागरूक है।

18 वर्ष के अन्तराल के बाद उस बहुत बड़े चुनाव में 46,953 ग्राम पंचायतों, 8,430 पंचायत समितियों और 648 जिला परिषदों के लिए वोट पड़े। परिणामतः पश्चिम बंगाल में 15 जिला परिषद्, 324 पंचायत समितियां और 3,242 ग्राम पंचायतें चुनी गई। यह चुनाव पंचायत एक्ट 1973 के अन्तर्गत हुआ। प्रत्येक पार्टी ने अपने दल के प्रतीक को लेकर चुनाव लड़ा और प्रत्येक पार्टी इस बात से पूर्णतः सहमत है कि यह चुनाव अत्यन्त अनुशासन व शांतिपूर्ण ढंग से किया गया।

पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के बाद संयुक्त वाम पक्ष ने यह घोषणा की कि संविधान के 40 के अनुबन्ध के निर्देशों के अनुरूप सरकार स्वयं जनता द्वारा स्थापित स्वशासी कानूनी संस्थान के रूप में पंचायतों के निर्माण के लिए वचनबद्ध है। इसी उद्देश्य से जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि अधिकारियों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम कर रहे हैं।

जिला मजिस्ट्रेट/उप-आयुक्त जिला परिषदों में कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। खंड विकास अधिकारी पंचायत समितियों के कार्यपालक अधिकारी होते हैं। सब मिला स्तर के अधिकारी जिला परिषदों की विभिन्न स्थायी कमेटियों के सरकार के मनोनीत अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए गए हैं और विकास स्तर के सभी विस्तार अधिकारी जो पंचायत समितियों की विभिन्न स्थायी कमेटियों में राज्यों के नामजद अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पंचायत संस्थाओं को सामान्य प्रशासकीय संरचना आधार का समर्थन प्राप्त होता है। सामुदायिक विकास शाखा पंचायत विभाग के तहत इसलिए लाई गई है कि सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में तेजी लाई जा सके। निर्धन ग्रामीणजनों को प्राथमिक रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम पंचायत समितियों को सौंप दिया गया है और इसी तरह ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम भी पंचायतों को सुपुर्द कर दिया गया है।

बलवन्त राय महता कमेटी ने इस बात का जोरदार समर्थन किया कि योजनाओं के आयोजन के विकेन्द्रीकरण और कार्यान्वयन के लिए पंचायतों को आर्थिक संसाधनों के साथ-साथ पर्याप्त अधिकार भी दिए जाएं सरकार ने 1958 में लगभग समिति की सिफारिशों को स्वीकृत किया था। कुछ क्षेत्रों में खास तौर से महाराष्ट्र और गुजरात पंचायत निकायों की देख-रेख में काफी अच्छी प्रगति भी हुई है परन्तु देश के अधिकांश क्षेत्रों में स्थितियां ज्यों की त्यों रही हैं। इस बात को दुहराया गया है कि योजनाएं नीचे से बनें लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने से इस बात की काफी चर्चा रही है कि गांव वाले अपने सर्वांगीण विकास के लिए स्वयं ग्राम योजनाएं बनाएं। ऐसा विचार था कि ऐसी सभी योजनाओं को एक खंड-योजना के रूप में समन्वित किया जाए और अन्ततोगत्वा उसे राज्य-योजना से समन्वित कर दिया जाए। योजनाओं और उनके कार्यान्वयन के इतने वर्षों के बाद भी यह पता चला कि ये निरी कागजी योजनाएं भी नहीं, बल्कि केवल थोथी बातें थीं।

सितम्बर और अक्तूबर 1978 में पश्चिम बंगाल राज्य में विनाशकारी बाढ़ों से निर्वाचित पंचायत के सदस्यों को भारी सदमा पहुंचा। यह अभूतपूर्व संकट की घड़ी निर्णय की परीक्षा की एक कसौटी सिद्ध हुई। ग्रामीण समुदायों के हार्दिक सहयोग से पर्याप्त संसाधन जुटा सके और सरकारी सहायता के साथ-साथ सहकारी समितियां लोगों की रक्षा के लिए आगे बढ़ सकी हैं। थोड़े से समय में पुनर्वास का भारी कार्य पूरा किया गया।

निःसन्देह दल के आधार पर सहायता प्राप्त करने की शिकायतें पाई गई। एक खास दल के समर्थक अनाज और पैसे टके की दूसरों से अधिक सहायता पाते रहे। हावड़ा के एक सज्जन ने जो कि सामान्य स्थिति के लोगों की अपेक्षा अच्छे खाते-पीते थे लेकिन बाढ़ के कारण जो बहुत दीन-हीन हो गए थे खाद्य और चारे के वितरण में अनावश्यक दलीय पक्षपात की शिकायत की। उन्होंने कड़े घृणा पूर्ण शब्दों में बताया कि मुझे अपने गाय बछड़ों के चारे के लिए चार सिगरेट के टिन के बराबर धान की भूसी मिली।

श्री जय प्रकाश नारायण और कुछ प्रमुख नेता शुरू से ही दलों के आधार पर पंचायती चुनावों के विरुद्ध थे। इस सम्बन्ध में उनकी दलीलें बहुत प्रबल थीं। सर्व सम्मति से

[illegible] के [illegible] के [illegible] इस लिए [illegible] था कि [illegible] के [illegible] में आपसी फूट और बैर भाव [illegible] न हो और विकास कार्य का कार्यान्वयन सुचारू रूप से हो सके। मेहता कमेटी ने दलीय आधार पर चुनाव के प्रश्नों पर गहराई से सोचा और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राजनैतिक विकास की हम उस अवस्था में पहुंच गए हैं जब कि यह स्वीकार करना अवास्तविक होगा कि राजनैतिक दल अपने को इन चुनावों से पृथक रखेंगे। अक्सर वे चुनावों में भाग तो लेते ही हो सकता है कि वे प्रत्यक्ष रूप में न लें। आवश्यकता है कि यह स्थिति न आने पाए। उनके सहभाग कार्यक्रमों की दिशा में उन्मुख होंगे और इससे उच्च स्तरीय राजनैतिक प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।

समिति ने ऐसे चुनावों के माध्यम से विरोधी दल को रचनात्मक मार्ग दिखाने का विचार किया। समिति का ख्याल था कि सीधे निर्वाचन से कमजोर वर्गों को अवसरों से लाभ उठाने की अधिक गुंजाइश होगी।

पंचायतों के बारे में सामग्री एकत्रित करने के लिए देश भर का दौरा करते हुए समिति ने सूचित किया कि सभी राजनैतिक दल सामान्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके उसे ग्रामीण संस्थाओं को सौंप देने के पक्ष में हैं।

जिला स्तर पर समितियों के गठन का जो हमने सुझाव दिया था उसमें सभी राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व उनकी अपनी शक्ति के अनुमान से प्राप्त हो जाता है। विकास कार्यक्रम को चलाने में भी सबकी सम्मति मिलेगी।

समिति ने जोर देते हुए बतलाया कि अपने पास पूर्ण शक्ति सम्पन्न नेतृत्व के होते हुए भी पंचायतीराज की सफलता अन्त में सभी राजनैतिक दलों की अटूट रूचि, सद्भावना और सहयोग पर निर्भर करती है।

प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयां अवश्य आएंगी, परन्तु ये सब अस्थायी हैं।

अधिकतर ग्रामीण लोग राजनैतिक नहीं हैं; वे शान्ति चाहते हैं परन्तु शान्ति उनसे दूर होती जा रही है। [illegible] पंचायत सदस्य जो कि विभिन्न दलों में से आए हैं परस्पर झगड़ते रहेंगे तो उनके पास ग्रामीणों की ओर देखने का समय कहां होगा। ये आपसी झगड़े ही उन बड़े नेताओं को परेशानी में डाले हुए हैं। परन्तु वे ऐसा मानते हैं कि वामपंथी सरकार के घटकों म कोई भी आपसी झगड़ा नहीं है जैसा कि उनका आग्रह रहा है।

राजनैतिक दलों के जागरूक संवर्ग, विशेष कर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट) जो सबसे बड़ा दल है, क्या पश्चिम बंगाल में पंचायतों की दैनिक कार्य प्रणाली के लिए एक परम्परा नहीं बना सकती, जोकि दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय हो। यह बात मेरे ध्यान में तब आई जब मैं इस वर्ष फरवरी के महीने में पश्चिम बंगाल में कुछ ग्राम-पंचायतों और पंचायत समितियों को देखने गया।

स्वप्नसनाती बज-ब्रज नामक पंचायत समिति का अध्यक्ष है। वह एक विज्ञान का स्नातक है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट) का कार्यकर्ता है। मैं उनसे ग्राम विकास कार्यालय में, जोकि सभापति का भी कार्यालय है, मिला, और उसमें तत्काल बड़ा परिवर्तन देखा। अपने निजी अधिकार से वह सभापति की कुर्सी लिए हुए थे और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से मुझसे अपना स्थान ग्रहण करने का आग्रह किया इससे यह पता चलता है कि पंचायतों का वास्तविक संचालक कौन है।

श्री सनाती ने मेरे साथ साधिकार और जानकारी सहित वार्ता की और जब दिन के दौरान हममें बिल्कुल मित्रता सी हो गई तो मैंने विशेषकर पश्चिम बंगाल के बारे में और वाम पंथियों के बारे में छींटा कसा तो उन्होंने सारा दोष केन्द्रीय सरकार के मत्थे पर ही मढ़ दिया, उन्होंने इसे एक शिष्ट हास्य के रूप में कहा किन्तु अपनी बात पर अड़ा रहे।

मैं सुबोध कुमार साहु, एक स्कूल मास्टर से भी मिला, जो बहुत जानकार और उसी राजनैतिक पार्टी के व्यक्ति हैं। उन्होंने कुछ दूसरे पंचायत सदस्यों के साथ चलकर मुझे एक गांव का मार्ग दिखाय। जोकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाया गया था। यह एक किलोमीटर [illegible] मार्ग दासपुर गांव को मुख्य [illegible] से मिलाता है और देश के अच्छे मार्गों में से एक है जिसे आगे दूरस्थ गांवों तक बढ़ाकर ले जाया जा रहा है।

सभापति ने बताया कि इसके पानी में बह जाने का डर है क्योंकि इसकी पुलिया को बनाने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। ओवरसीयर ने इस बात का समर्थन किया।

एक दूसरे गांव में गांववालों ने पानी के जमा हो जाने की समस्या का सवाल उठाया उनके लिए यह जीवन और मरण का प्रश्न है। क्योंकि किसान इसके कारण दूसरी फसल उगाने का प्रयास नहीं कर सकते। तीसरी फसल की तो बात ही क्या। यह सब गन्दे नालों के पानी के जमाव के कारण हुआ। इन नालों की तलेठी-काफी उठ गई है और पानी जमा हो गया है। ग्रामीण जन मुझे उस विशेष जगह तक ले गए जहां बृटिश युग में "लोकगेट" बनाया गया था परन्तु जो नाले की उठी हुई तलैठी के कारण गांव में जमा हुए पानी को बाहर नहीं निकाल सकता था।

हम सब सहमत हुए कि सिंचाई विभाग थोड़े समय में ही उक्त दोष को दूर कर सकता था केवल इस मामले को मंत्री महोदय तक जो पंचायतों के प्रभारी हैं ले जाया जाना था। जिससे कि वे सिंचाई विभाग में सहयोगी मंत्री से मिलकर उसका हल कर सकते थे। मैं इस बातचीत के दौरान चुप न रह सका और बोला इसके लिए आप केन्द्र को दोषी नहीं ठहरा सकते।'

इस प्रकार की और भी अनेक छोटी छोटी बातें हैं जिनके सम्बन्ध में मेरा विचार है कि पंचायत के निर्वाचित नेता उन्हें आसानी से निपटा लेंगे। मिसाल के तौर पर, नलकूप चाहे पीने के पानी के लिए हो या सिंचाई के लिए यदि इनमें कोई भी खराबी पाई जाए तो पंचायतें, इन्हें ठीक कराने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। वे यहां तक सुझाव दे सकती हैं कि उन व्यक्तियों व फर्मों को काली सूची में रखा जाए जिन्होंने ऐसा घटिया किस्म का सामान उपलब्ध करवाया।

रूसी क्रान्ति के बाद लेनिन ने 'सोवियत और विद्युत मिलाकर बराबर है साम्यवाद' का नारा दिया, जैसा कि मैंने शेख मोदावर हुसैन अलाकुश्लो-खुदगा शेख समिति के सचिव से सुना था और जिसका समर्थन भुंभरा-कटंगा सिंचाई सोसाइटी भंगोर ब्लाक, 24 परगना के मोहम्मद मूसा ने किया था।

मैंने लेनिन के कुछ शब्दों में फेरब–दल करके कहा कि 'पंचायत और सिंचाई मिलाकर बराबर है समन्वित ग्राम विकास' ये दोनों समितियां शिल्ला जुद्दीन मुल्ला की अध्यक्षता में व्युटा ग्राम पंचायत में बनी हैं।

लघु किसान विकास एजेन्सी कार्यक्रम के तहत पंचायतों और सहकारी समितियों ने एजेन्सी व विकास कर्मचारियों की तकनीकी सलाह से और बैंकों द्वारा अच्छी आर्थिक सहायता पाकर जो कुछ भी किया उसके परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में सिंचाई कूपों का कुकुरमुत्तों के समान विकास हो रहा है। यह अतिरिक्त जल किसानों को केवल तीसरी फसल को उगाने में ही नहीं बल्कि उनमें दूसरी तरह के कृषि उत्पादनों को बढ़ाने में भी सहायक है। मिसाल के तौर पर ग्रामीण बंगाल में गेहूं की बुआई आम बात हो गई है। मुझे बताया गया कि प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन करने के हिसाबसे भारत भर में पश्चिम बंगाल का स्थान दूसरा है। मसाले, जोकि आज बहुत मंहगे हैं उनकी भी वहां खेती की जा रही है। खाली समय में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, जिनकी खपत के लिए कलकत्ता महानगर में बाजार उपलब्ध हैं। वास्तव में भली प्रकार सिंचित भूमि महीने भरके लिए भी खाली नहीं रहती जहां योग्य नेतृत्व है उसका सम्पर्क जन साधारण से रहता है जो कि एक अच्छी बात है। आखिरकार वे सब पीढ़ियों से किसान हैं और उनका भारी उपज में रुचि लेना स्वाभाविक ही है। व्यावहारिक किसानों की भांति, उन्होंने भी कृषि उत्पादन में एक नए युग की सूत्रपात किया है।

चौबीस परगना इलाके की नरेन्द्रपुर पंचायत विशेषरूप से उल्लेखनीय है। पिछले चुनाव तक एक निर्दलीय व्यक्ति वाम और दक्षिण पंथियों द्वारा अन्चलिक पंचायत प्रधान पद के लिए निर्वाचित किया गया और वही 1971 तक लगातार निर्वाचित होता रहा। लेकिन 1978 के चुनावों के दौरान स्थितियां बिल्कुल बदल गई जबकि निर्दलीय व्यक्ति को एक राजनीतिक उम्मीदवार का प्रबल समर्थन मिलने से हटना पड़ा। समय ही बतायेगा कि क्या यह परिवर्तन जनता के लिए हितकर है।

इन सात वर्षों में पुरानी ग्राम पंचायत सराहनीय काम कर रही थी। उसके लिए आर्थिक अनुदान, सी एंड डी ए और राज्य सरकार से मिला जिसमें जितना पंचायत अनुदान प्राप्त हुआ वह केवल 100 रुपए प्रति वर्ष था। पंचायत टैक्स की वसूली, ग्रामीण कार्यों के कार्यक्रम और कुछ निधि जिला परिषद व रामकृष्ण मिशन द्वारा दी गई। इस क्षेत्र में प्रत्येक 20 परिवारों के लिए एक नलकूप बनाने की बहुत योजना थी जिसे पूरा होने में कुछ सफलता भी मिली इसके इलावा योजक सड़कों, स्कूल में स्वच्छ शौचालयों, स्कूलों में पोषण कार्यक्रम, और बहुत से नलकूप आदि भी बनाए गए। नई किस्म के धानकी फसल आई आर एस, जया, रत्ना आदि किसानों में बहुत प्रचलित हुई। बहुत से दूरस्थ गांवों में मिट्टी की जांच और रसायनिक खाद का प्रयोग होने लग गया है। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रत्येक ने शान्ति पूर्ण वातावरण में काम किया। हिंसा, घेराव और हत्याओं का बोलबाला बिल्कुल भी नहीं रहा।

यह अभी और देखना है कि वामपंथी सरकार के घटकों में स्वस्थ प्रतियोगिता कहां तक ग्रामीण जनों-विशेषकर पिछड़े वर्गों के युग-युगों से चले आ रहे पुराने संकटों का निवारण करने में तथा उनके आर्थिक उन्नयन में सहायक हो सकती है। अभी पश्चिम बंगाल में पंचायतों की उपलब्धियों के मूल्यांकन करने का समय नहीं आया है किन्तु हमें इससे काफी आशाएं हैं। राज्य सरकार नें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 250 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। जबकि मोटे तौर पर प्रत्येक पंचायत पिछले 3000 रुपये की अपेक्षा एक लाख रुपये पा रही है

सरकार ने पंचायतों के संसाधन बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है कि (क) ग्राम पंचायतों द्वारा वसूल किए गए कर शुल्क आदि के समकक्ष पंचायतों को अनुदान की अदायगी की जाए (ख) खस या तालाब ग्राम पंचायतों के लिए नियत कर दिए जाएं (ग) वसूल किए गए लगान का उपयुक्त प्रतिशत पंचायत समितियों के लिए नियत किया जाए (घ) पंचायत समितियों को कर लगाने के लिए हाट-बाजार नियत किए जाएं। (यं) सड़क व सार्वजनिक निर्माण शुल्क की संपूर्ण वसूली जिला परिषद कोष में जमा करने के लिए दी जाए।

राज्य में अब तक 98 संस्थात्मक प्रशिक्षण कैंप हैं जो 3920 प्रधानों और सभापितियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी बहुत सी पुस्तकें छापी गई हैं।

निःसंदेह इस दिशा में आगे के लिए कदम उठाए गए हैं। लेकिन क्या एक कदम आगे बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल दो कदम पीछे तो नहीं लौट रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप से पंचायत प्रणाली के कार्य में रुकावट तो नहीं आ जाएगी इसका समाधान समय ही करेगा सारा देश राज्य के इस एक बड़े परीक्षण को आतुरता से देख रहा है। ❋

मूल अंग्रेजी से अनूदित
(अनुवादक-मोहनचन्द्र मन्टन)

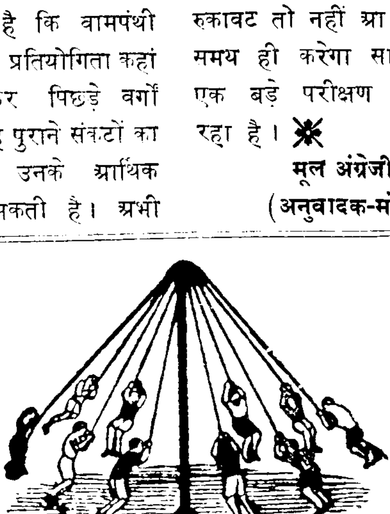

समस्या बेरोजगारी से निपटने की

सतीश कुमार जैन

भारतवर्ष में बेरोजगारी की समस्या उग्रतर रूप धारण करती जा रही है। अनुमान किया जाता है कि देश में इस समय लगभग 57 लाख शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हैं। इनके अतिरिक्त, गांवों में निवास करने वाले लगभग 162 लाख अशिक्षित व्यक्ति अर्द्ध बेरोजगारी से ग्रसित हैं यह वे व्यक्ति हैं जिनको वर्ष में थोड़े समय के लिए ही फसल बोने एवं काटने के समय कुछ आय हो जाती है। अथवा वह घर पर कुछ साधारण सी चीजें बनाकर उससे कुछ आय कर लेते हैं। आर्थिक रूप से इनकी स्थिति बहुत शोचनीय रहती है और वह बेरोजगारों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 219 लाख है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के समय 1983–84 के आरम्भ तक इसमें 295 लाख की अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी और इस प्रकार देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 514 लाख हो जाएगी। यदि उस समय देश की कुल जनसंख्या 72 करोड़ के लगभग अनुमानित करें तो लगभग 7 प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार रहेंगे। यदि यह अनुपात 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की अपेक्षा से निकालें जिस काल में व्यक्ति रोजगार ढूंढने की अधिक स्थिति में रहते हैं, तो यह अनुपात और अधिक हो जाएगा।

इस बढ़ती हुई बेरोजगारी का कारण यह भी रहा है कि अब तक के 30 वर्ष के योजनाकाल में लघु एवं कुटीर उद्योगों को विशाल स्तर पर विकसित नहीं किया गया तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए श्रमशील विशेष योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया गया। किन्तु इस विकराल बेरोजगारी का मुख्य कारण है साल दर साल तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। जितना रोजगार अब तक के औद्योगिक एवं कृषि विकास कार्यों, लघु उद्योगों, हस्त शिल्प विकास, विद्युत् उत्पादन, सिंचाई योजनाओं, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के विस्तार, निजी व्यापार एवं व्यवसायों में वृद्धि आदि से उत्पन्न हुआ उससे कहीं अधिक गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई है जिसके कारण प्रत्येक योजनाकाल में बेरोजगारी बजाय घटने के बढ़ी ही है। निम्न तालिका से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है —

	पिछली बेरोजगारी	नई वृद्धि	कुल बेरोजगारी	जिनको रोजगार मिला	बाकी बे-रोजगार
	(संख्या दस लाख में)				
प्रथम पंचवर्षीय योजना काल	3.3	9.0	12.3	7.0	5.3
द्वितीय ,, ,,	5.3	11.8	17.1	10.0	7.1
तृतीय ,, ,,	7.1	17.0	24.1	14.5	9.6
वार्षिक योजना-काल 1966–67 से 68–69					16.6
चतुर्थ ,, ,,	13.6	27.3	40.9	18.0	22.9

प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाकाल की उपलब्धियों पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शीघ्रता से बनाये जाने के कारण उसमें कोई नवीन विकास योजनाएं सम्मिलित नहीं की जा सकीं। इसके अंतर्गत द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् आरम्भ किए गए विकास कार्यों को ही नियोजित ढंग से क्रियान्वित किया गया। एक विशेष कार्य यह अवश्य हुआ कि 20 अक्तूबर, 1952 को सामुदायिक विकास सेवा का उद्घाटन कर उस के अंतर्गत विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए। योजना काल की समाप्ति पर एक लाख चालीस हजार ग्रामों में निवास करने वाले आठ करोड़ व्यक्तियों के लिए इस कार्य को सम्पन्न किया गया। सामुदायिक विकास कार्यालयों में नौकरियां मिलने के अतिरिक्त ग्रामीण विकास एवं स्वचालित उद्योगों में इस योजना से कोई विशेष लाभ ग्रामवासियों को नहीं पहुंचा। औद्योगिक विकास, कृषि विस्तार, यातायात एवं संचार साधनों में विकास, सरकारी व व्यापारिक सेवाओं आदि सब कार्यों द्वारा 70 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सका। जनसंख्या अलबत्ता 35.9 करोड़ से बढ़कर 38.4 करोड़ हो गई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो विशेष विचार विनिमय के पश्चात् प्रख्यात सांख्यकी एवं अर्थवेत्ता प्रो० पी० सी० महलनोबिस के माडल के आधार पर बनाई गई, मुख्य बल मशीनी सामान अर्थात् निवेश संबंधित सामान के बनाने पर दिया गया। इस योजनाकाल में खनिज पदार्थों के निष्कासन, सरकारी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, मशीनी एवं बिजली के सामान के निर्माण, यातायात के विकास, मोटर ट्रैक्टर निर्माण, कृषि संबंधी विकास, बिजली उत्पादन आदि क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ। किन्तु उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन जिस गति से अपेक्षित था उतना नहीं हुआ। देश के सरकारी क्षेत्र के तीन बड़े लौह एवं इस्पात कारखानों दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला की स्थापना इसी योजनाकाल में हुई। इन सब कार्यों द्वारा और कुछ अंश तक लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास द्वारा रोजगार के साधनों में यथेष्ट वृद्धि हुई, किन्तु जनसंख्या वृद्धि के कारण योजना के अंत तक अनुमानत 71 लाख व्यक्ति बेरोजगार रहे।

तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में इंजीनियरी, बिजली व अन्य मशीनी सामान, रसायन वस्तुओं, कागज व उर्वरकों के निर्माण एवं कृषि विकास कार्यों में यद्यपि लक्ष्य के अनुरूप तो नहीं किन्तु यथेष्ट प्रगति हुई। योजनाकाल के अंत तक अनुमानित 241 लाख बेरोजगार व्यक्तियों में से केवल 145 लाख व्यक्ति ही रोजगार प्राप्त कर सके। शेष 96 लाख व्यक्ति बेरोजगारी से ग्रसित रहे। 1966–67 से 1968–69 के वार्षिक योजनाकाल में कृषि एवं औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों में उन्नति हुई किन्तु बेरोजगारों की संख्या 1968–69 के अंत में बढ़ कर 136 लाख हो गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में कृषि, सिंचाई, औद्योगीकरण एवं अन्य क्षेत्रों में विकास के बावजूद भी जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं रोजगार के अभाव में अंतिम वर्ष तक अनुमानतः 229 लाख व्यक्ति बेरोजगार रहे।

पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल में तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बेरोजगारी की ओर विशेष ध्यान दिया गया। यह अनुमान किया गया कि जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत अति दरिद्रता एवं अभाव की स्थिति में है और उन्हीं के मध्य बेरोजगारी सबसे अधिक है। इस 30 प्रतिशत जनसंख्या में भी दलित वर्ग के व्यक्तियों की दशा और भी अधिक शोचनीय समझी गई। योजनाविदों का ध्यान अब इस ओर अधिक गम्भीरता से गया कि कृषि तथा संबंधित कार्यों में सुधार एवं विकास द्वारा ही देश में निर्धनता एवं बेरोजगारी के प्रसार को रोका जा सकता है। खेती में अधिक उपज देने वाली किस्मों को व्यापक रूप से बोने के लिए प्रयत्न किए गए। छोटे और सीमावर्ती किसानों की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न किए गए। कृषि एवं उद्योगों को समुचित रूप से बिजली देने के लिए विद्युत् उत्पादन पर बल दिया गया। इन सब उपायों से छोटे किसानों को कुछ लाभ अवश्य हुआ। बेरोजगारी फिर भी बढ़ी। बेरोजगारी की बिगड़ती स्थिति को देख कर लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया गया। किन्तु बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए विशिष्ट योजनाओं के अभाव में तथा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की स्थिति और खराब ही हुई।

पिछले 30 वर्षों में देश का औद्योगीकरण अच्छे बड़े स्तर पर हुआ है। उस कारण यह विश्व के प्रमुख 12 औद्योगिक देशों में से एक है जो काफी महत्वपूर्ण बात है। भारतीय मशीनी सामान एवं बिजली के सामान आदि की अब विश्व के अनेक देशों में अच्छी मांग एवं खपत है। विद्युत् उत्पादन तथा कृषि विस्तार एवं विकास में भी बहुत प्रगति हुई है और खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। इन सब के कारण रोजगार के साधनों में काफी वृद्धि हुई है किन्तु तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या विषमतर ही बनी रही। 69

सन् 1971 की जनगणना के अनुसार देश की 4/5 जनता लगभग 6 लाख गांवों में निवास करती है। इनमें से 9/10 भाग व्यक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि पर आश्रित हैं। इन व्यक्तियों की आय अथवा पेट भरने का सीधा संबंध उनके खेतों के आकार, कृषि से प्राप्त आय व खेतों पर काम करने से प्राप्त मजदूरी से है। 1975 की कृषि गणना रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि लगभग 7 करोड़ खेतों में से 3.6 करोड़ खेतों का क्षेत्रफल एक हैक्टेयर से भी कम है। यह कुल खेतों का 51 प्रतिशत हैं। लगभग 19 प्रतिशत खेतों का क्षेत्रफल एक से दो हैक्टेयर के मध्य है। काफी खेत इनमें ऐसे हैं जो सिंचाई की सुविधाओं के अभाव में सूखे से प्रभावित रहते हैं अथवा जिनको बाढ़ों के कारण काफी हानि हो जाती है। इस प्रकार इन छोटे-छोटे खेतों पर आश्रित व्यक्तियों की वार्षिक आय इतनी कम है कि उनका जीवन निर्वाह कठिनता से होता है और वह अर्द्ध बेरोजगारी से ग्रसित होने के अतिरिक्त देहात व पास के कस्बे के महाजन एवं दूकानदारों के ऋण के शिकार रहते हैं। इनकी स्थिति अब भी काफी दयनीय है। वर्ष का अधिकतर भाग बेरोजगारी में व्यतीत होने के कारण अत्यंत कठिनाई से व्यतीत होता है। वैसे भी देश के अधिकतर भाग में सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण खेतों से पैदावार कम होती है। विकसित देशों तथा एशिया के ही कुछ देशों की अपेक्षा भारत में प्रति हैक्टेयर उत्पादन एवं उससे प्राप्त आय अभी बहुत कम है। एक छोटे खेत से केवल एक दो व्यक्तियों के गुजारे के लिए ही उत्पन्न हो सकता है। देश में स्थिति यह है कि उस खेत पर 6–7 या उससे भी अधिक परिवार के अथवा संबंधित व्यक्ति आश्रित रहते हैं। इन फालतू व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की समस्या कहीं अधिक विकट है।

अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या उन अविकसित कृषि प्रधान देशों में अधिक गंभीर रूप धारण कर लेती है जहां जनसंख्या अधिक हो और तीव्रता से बढ़ रही हो तथा उसकी तुलना में पूंजी निवेश एवं उत्पादन साधनों का अभाव हो। फलतः जनसंख्या का दबाव कृषि पर ही बढ़ता रहता है। यदि खेतों की उत्पादन क्षमता यथेष्ट बढ़ा दी जाए तब तो फिर भी निर्धनता का उतना दारुण दुःख उन व्यक्तियों को नहीं भुगतना पड़ेगा अन्यथा भारत

जैसे देश में जहां प्रत्येक परिवार के पास खेत बहुत छोटे हैं तथा अधिकतर कृषकों को अभी भी उचित सिंचाई, अधिक उत्पादन देने वाले बीज तथा उर्वरक उपलब्ध नहीं हैं। यह समस्या बहुत ही विकराल रूप में विद्यमान है। इन भूखे पेट व्यक्तियों में से अधिकांश को न तो कृषक संबंधियों द्वारा ही यथेष्ट खाद्य सामग्री मिल पाती है और न ही कारखानों आदि में मजदूरी व रोजगार मिल पाता है। सर्वथा साधनहीन व शिक्षाविहीन होने के कारण किसी भी प्रकार की मजदूरी करने के लिए ये व्यक्ति मजबूर रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से न्यूनतम मजदूरी अदायगी कानून के क्रियान्वित होने के कारण सभी राज्यों में लगभग पांच रुपये अथवा उससे अधिक की प्रतिदिन की मजदूरी देना आवश्यक हो गया है जिसके कारण यदि परिवार के 2–3 युवा एवं प्रौढ़ व्यक्तियों को भवन निर्माण, सड़क निर्माण, अन्य मजदूरी के कार्यों या कारखानों में कार्य मिल जाए तो उदर पूर्ति की समस्या कुछ सीमा तक सुलझ जाती है। इससे पूर्व तो इन साधनहीन व्यक्तियों को बहुत थोड़ी मजदूरी मिलने के कारण परिवार का पेट भरने के लिए बालकों को भी मजदूरी प्राप्त करने के लिए उनकी आयु से अधिक श्रमशील कार्यों में लगाना पड़ता था। 70

ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी की स्थिति में सुधार करने के लिए कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। सिंचाई की सुविधाओं को विशेषकर उन क्षेत्रों में जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा के जल पर ही आश्रित हैं, बढ़ाया जाना, उन्नत खेती के साधनों को अपनाना जिनमें खेती के नए औजारों का उपयोग, उर्वरक, व अधिक उपज देने वाले बीजों का बोना तथा वर्ष में दो तीन फसलें उत्पन्न करना सम्मिलित हैं, आवश्यक है। सिंचाई की सुविधायें बढ़ाने के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता होगी और यह प्रसन्नता की बात है कि इस दिशा में सरकार विशेष प्रयत्नशील है। भूमि सीमा निर्धारण कानून के अन्तर्गत बड़े किसानों से भूमि प्राप्त कर व परती भूमि को खेती योग्य बनाने के पश्चात् उसे भूमिहीन ग्रामीणों में वितरित करना भी आवश्यक है। इसके पश्चात भी उनकी कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है जिससे वह स्थायी रूप से उस भूमि से भली प्रकार जीवोकापार्जन कर सकें।

कृषि सम्बन्धी सुधारों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार इसके लिए भी प्रयत्नशील है कि पशुपालन का विकास कर दूध के उत्पादन को बढ़ाया जाए जिससे प्रथम तो पौष्टिक आहार सुलभ होने की दृष्टि से लाभ हो दूसरे उससे ग्रामवासियों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो। गांवों में चरागाहों का विकास कर, विदेशी नसलों की अधिक दूध देने वाली गायों का प्रजनन कर एवं उत्पादित दूध, मक्खन व घी की विक्रय व्यवस्था में सुधार कर अल्प आय वाले ग्रामीणों को यथेष्ट आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। पशुपालन विकास एवं समेकित ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारें गांवों में रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

यदि ग्रामों के समीप ही स्थानीय रूप से प्राप्त कच्चे माल एवं कृषि पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग स्थापित कर दिए जायें तो इनसे रोजगार के अधिक साधन सुलभ हो सकते हैं तथा कृषकों को भी घर के समीप ही अपनी अनेक प्रकार की उपजों के लिए जिनकी इन लघु उद्योगों में कच्चे माल के रूप में मांग होगी, बाजार मिल जाएगा। जनता सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की विकट समस्या को ध्यान में रखते हुए औद्योगीकरण का ढांचा ही बदलने की जुस्तजू की है। देश के सभी जिला केन्द्रों में ऐसे लघु एवं ग्राम आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की योजना है जिनमें स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे माल जैसे कृषि फसलों, फल, दूध, अन्य सामग्री, ऊन, रेशम, कपास, आदि का उपयोग हो सके। इन योजनाओं से बेरोजगारों को रोजगार मिलने के अतिरिक्त उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन भी देश में बढ़ेगा।

छठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन श्रमशील योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जिनसे अधिक मजदूरी व रोजगार मिले। सरकार ने घोषणा की है कि दस वर्ष की अवधि में बेरोजगारी समाप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी। इस योजना काल के अन्तर्गत लगभग 492 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

देश में अब तक बड़ी संख्या में जिला औद्योगिक केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। यह जिला केन्द्र लघु उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी सभी सूचना इच्छुक व्यक्तियों को देंगे तथा वित्तीय सहायता, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवायें उपलब्ध कराने सम्बन्धी सूचना एवं प्रबन्ध, कच्चे माल की उपलब्धि, उत्पादित सामग्री की बिक्री आदि में इन उद्योगों के मालिकों की भरपूर सेवा करेंगे। इन केन्द्रों की सफलता तकनीकी रूप से प्रशिक्षित सही व्यक्तियों की उपलब्धि, वित्तीय सहायता एवं उत्पादित सामग्री की बिक्री के अतिरिक्त अधिकारियों की कर्त्तव्य परायणता, सेवा भावना, सत्यनिष्ठा पर आश्रित है।

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर 1977 की नई औद्योगिक नीति अपनाए जाने के पश्चात् से जिसमें लघु व कुटीर उद्योगों व हस्तशिल्प को उच्च प्राथमिकता दी गई है अब तक 28 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। लघु उद्योगों के अन्तर्गत, 10 लाख व्यक्तियों को, रेशम उत्पादन के अन्तर्गत जिसमें मुख्यतः ग्रामीण एवं आदिवासी लगे हुए हैं 8 लाख व्यक्तियों को, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अन्तर्गत पच्चीस केन्द्रों द्वारा 6 लाख व्यक्तियों को तथा हस्तशिल्प द्वारा 4 लाख व्यक्तियों को, इस प्रकार लगभग 28 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। दो वर्ष से कम की अवधि में यह सफलता भले ही बेरोजगारी की समग्र समस्या की तुलना में नगण्य हो किन्तु इससे आशा की इतनी किरण अवश्य प्रस्फुटित हुई है कि यदि अधिकारी कर्त्तव्य परायणता से इन कार्यों का संचालन करें तो बेरोजगारी की स्थिति में यथेष्ट सुधार हो सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भी सरकार उन सभी योजनाओं को प्रमुखता दे रही है जिनके अन्तर्गत रोजगार के साधन बढ़ें। श्रमशील योजनाओं जैसे सड़क एवं भवन निर्माण, नहरों की खुदाई, वृक्षारोपण, बिजली उत्पादन आदि के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में और अधिक धन राशि दिया जाना निश्चित किया गया है। आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, जो बेरोजगारी एवं निर्धनता से अधिक ग्रसित हैं, देश भर में आदिवासी क्षेत्र चुने गए हैं। इन क्षेत्रों के लिए आदिवासी विकास योजनाएं बनाई गई हैं तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों एवं राज्य सरकारों को निदेश दिया गया है कि योजना की कुल राशि में ये निश्चित प्रतिशत राशि इन आदिवासी क्षेत्रों में विकास योजनाओं पर अवश्य व्यय करें तथा उनमें हुई प्रगति का लेखा-जोखा भी अलग से प्रस्तुत करें। चूंकि आदिवासी वनों के अन्दर व उनके समीप काफी संख्या में रहते हैं, इस कारण उनके आर्थिक कल्याण एवं उनको रोजगार दिलाने की दृष्टि से यह प्रयत्न किया जा रहा है कि लघु वन उपज बीनने व बेचने का कार्य इन आदिवासियों द्वारा ही सम्पन्न कराया जाए। राज्य वन विभागों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह वृक्षारोपण पर अधिक ध्यान दें जिससे अधिक व्यक्तियों को कार्य मिल सके। यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि राज्य वन विभागों में काष्ठ निष्कासन का कार्य ठेकेदारों द्वारा न कराया जा कर वन विभागों द्वारा ही हो जिससे कि कार्यरत श्रमिकों को उचित मजदूरी एवं रोजगार मिलता रहे। महुआ एवं साल वृक्षों के बीज बीनने एवं विक्रय करने के लिए आदिवासियों की विशेष रूप से सहायता की जा रही है जिससे कि उनको रोजगार मिलता रहे। पर्वतीय वन प्रदेशों में वनवासी चीड़ के पेड़ से लीसा प्राप्त कर लेते हैं। उनके रोजगार के लिए इसके द्वारा उनको और अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। वृक्षारोपण योजनाओं में वन विभागों व वन विकास निगमों द्वारा तथा सामाजिक वानिकी योजनाओं के अन्तर्गत बड़े स्तर पर वृक्ष बोने का कार्य देश भर में चल रहा है। इनके द्वारा ग्रामवासियों को मजदूरी का कार्य मिल रहा है। वृक्षारोपण के कार्य को और अधिक बढ़ावा देने में विश्व बैंक भी रुचि ले रहा है और उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में दो बड़ी परियोजनायें उसकी सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली हैं। अन्य राज्य सरकारें भी इस प्रकार की योजनायें बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इन सब के द्वारा रोजगार के साधन अवश्य ही प्रशस्त होंगे।

पीछे उल्लेख किया गया है कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या इस समय देश में 57 लाख है। इनमें 45-46 लाख मैट्रीक्यूलेट, 11–12 लाख स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री-धारी तथा 93–94 हजार तकनीकी शिक्षा प्राप्त हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की संख्या कम इस कारण है कि देश में ऐसी शिक्षा देने वाले संस्थान कम संख्या में हैं। दूसरे जितने शिक्षार्थी उनमें से शिक्षा ग्रहण करके निकलते हैं उनमें से अधिकांश को नौकरी मिल जाती है तथा कुछ अपना स्वयं का व्यवसाय या कारखाना स्थापित कर लेते हैं। बिना तकनीकी शिक्षा वालों के लिए रोजगार की समस्या बहुत विकट होती जा रही है। इस शिक्षित युवा वर्ग की बेरोजगारी से राजनैतिक वर्ग भी चिन्तित रहता है। उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या का कारण है देश में अधिक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं आसान परीक्षायें। शिक्षा का स्तर कुछ राज्यों को छोड़ कर अन्य में काफी नीचे गिर गया है। बहुत साधारण परि-श्रम से, परीक्षा से कुछ समय पूर्व ही परिश्रम करने से, विद्यार्थी बी० ए० व बी० काम तथा एम० ए० व एम० काम की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं। इससे उनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यह निरुद्देश्यहीन युवक ऊंची शिक्षा इसी आशा से प्राप्त करते हैं कि नियुक्ति के समय उनको योग्यता के आधार पर सम्भवतया प्राथमिकता मिले। उसके दो दुष्परिणाम निकल रहे हैं। प्रथम तो यह कि जिन स्थानों पर कम शैक्षणिक योग्यता वाले प्रार्थी की नियुक्ति हो सकती थी वहां ऊंची शिक्षा वाले नियुक्त होते हैं और उनके मन में छोटी नौकरी मिलने के कारण असन्तोष रहता है दूसरे उस पद के लिए उतनी ऊंची शैक्षणिक योग्यता आवश्यक न होने के कारण उनका उच्च शिक्षा पर समय एवं व्यय व्यर्थ जाता है। यदि रोजगार के समुचित साधन रहें तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वैसी ही नौकरी मिलना सम्भव हो सकता है। शिक्षा के स्तर में यथेष्ट सुधार की आवश्यकता है जिससे कि कम से कम स्नातकोत्तर शिक्षा उतनी स्तरहीन एवं सस्ती न रहे। विद्यार्थी को प्रवेश उसकी कम से कम स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए वास्तविक योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए। अधिकांश शिक्षित युवा वर्ग देहात से नगरों की ओर नौकरी की तलाश में जाने के प्रयत्न में रहता है। उनको देहात के जीवन एवं छोटे-मोटे कार्य को देहात में करने में रुचि ही नहीं रह पाती है। उनके तथा अशिक्षित व्यक्तियों के भी मजदूरी की तलाश में नगरों की ओर ही भागने के कारण नगरों में बेरोजगारी का दबाव और अधिक बढ़ता है। कृषि विकास अथवा अपने निजी व्यवसाय को चलाने की अपेक्षा उनकी शक्ति किसी भी प्रकार की नौकरी पाने के लिए व्यय होती है। इसका प्रमाण है रोजगार दिलाने वाले कार्यालयों में लम्बी-लम्बी पंक्तियां एवं वहां दिन-प्रतिदिन बढ़ते पंजीकरण तथा सरकारी कार्यालयों, बैंकों व निजी औद्योगिक कार्यालयों आदि द्वारा नौकरियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने पर उनके लिए हजारों और कहीं कहीं तो लाखों की संख्या में आवेदन पत्रों का आना। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक ही होगा कि देश में रोजगार दिलाने वाले कार्यालयों की कार्य क्षमता एवं निष्ठा में सुधार की आवश्यकता है। अधिकारियों को आवेदकों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण एवं निष्पक्ष व्यवहार उनकी रजिस्ट्रेशन की तिथि अथवा योग्यता के आधार पर रखना चाहिए। यदि देश के सभी उद्योगपति एवं व्यापारी रोजगार दिलाने वाले दफ्तरों को पूर्ण सूचना इस आशय को

[शेष पृष्ठ 26 पर]

ग्रामीण विकास तथा

स्वयं सेवी संगठन

भवानी शंकर शर्मा

उन्नीस सौ इकत्तर की जनगणना के अनुसार देश में 5.80 लाख गांव हैं तथा कुल जनसंख्या का 80.13 प्रतिशत भाग गावों में निवास करता है। रिजर्व बैंक ने अपने एक सर्वेक्षण में 1971 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा था कि 72 प्रतिशत लोगों के पास खेती की जमीन है। इनमें से 25 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास एक एकड़ से भी कम जमीन है। इस प्रकार ग्रामीण आबादी में लगभग 50 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी आय गरीबी की रेखा से भी नीचे है। बेरोजगारी प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है।

आज देश को स्वतंत्र हुए 30 वर्षों से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है और इस समयावधि में लगभग पांच पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकी हैं फिर भी गांवों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। बहुचर्चित भूमि सुधारों तथा हरित क्रांति का लाभ भी कुछेक सम्पन्न किसानों तक ही सीमित रहा है। सरकार की कुटीर एवं लघु उद्योगों की नीति के बावजूद इन क्षेत्रों का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। इसी का दुष्परिणाम यह है कि न तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ही खत्म हुई है और न ही कोई नई औद्योगिक तकनीकी यहां पनप पा रही है। यातायात तथा सामाजिक पूंजी का भी समुचित विकास नहीं हो पाया है। सही अर्थ में अगर यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब तक मनुष्य को अपनी अनिवार्य आवश्यताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तब तक राजनैतिक स्वतंत्रता भी निर्मूल सिद्ध होगी। मनुष्य का ज्यादा भी नहीं तो कम से कम एक न्यूनतम स्तर का शैक्षणिक विकास अवश्य होना चाहिए। दुर्भाग्य का विषय है कि इन क्षेत्रों का आशानुकूल शैक्षणिक विकास भी नहीं हो पाया है।

हमारी शिक्षा प्रणाली भी ऐसी ही है कि इससे शहरी क्षेत्र को अपेक्षाकृत ज्यादा लाभ मिल रहा है। प्रति व्यक्ति आय भी इन क्षेत्रों में कम है, साथ ही रोजगार की सुविधाओं का अभाव होने के कारण लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस दृष्टि से प्रधान मंत्री का यह कथन सराहने योग्य है कि रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाने वाले ग्रामवासियों की राह गांवों की ओर ही मोड़नी होगी।

हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि देश में परिवर्तन का तूफान हमेशा गांवों की ओर से ही आया है, चाहे वह गुलामी का जुआ हो या पूंजीवादी निरंकुश सत्ता का, दोनों ही का अंत ग्रामीण क्षेत्र में गूंजी आवाज के कारण ही हुआ है।

निस्संदेह पिछले 30 वर्षों में देश का औद्योगिक ढ़ांचा काफी विकसित हुआ है। तकनीकी कौशल का हम निर्यात भी कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादनों तथा उपभोक्ता सामान के निर्यात से विदेशी मुद्रा कोष बढ़ा है। विदेशी व्यापार की मात्रा, रचना तथा दिशा में भी मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। परन्तु देश की आवश्यकता के अनुसार हमें जिस कृषि एवं औद्योगिक ढांचे की जरूरत थी, खड़ा नहीं हुआ है। हमने पश्चिम के औद्योगीकरण का अनुकरण किया है। औद्योगीकरण की बुराइयों से ये राष्ट्र भी अनभिज्ञ नहीं रहे हैं तो हम 62 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अधिक कारखाने खड़े करके किस तरह से लोगों को काम में लगा सकेंगे? शायद कोई भी अर्थशास्त्री इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इसकी कीमत उद्योगों व कारखानों को नहीं, वरन समाज को ही चुकानी पड़ती है।

हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक कुचक्र व्याप्त होने से गरीबी की समस्या में कोई आशानुकूल सुधार नहीं हो पाया है। हमें गांधी जी द्वारा बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार चलना होगा। उन्हीं के प्रयासों का फल है कि कुटीर एवं लघु उद्योग धन्धों के माध्यम से हम बेरोजगारी की समस्या का बहुत कुछ हद तक समाधान कर सकते हैं। जब इन क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो जीवन स्तर, शिक्षा, क्रय शक्ति आदि में आशानुकूल सफलता मिल सकती है।

बहरहाल छठी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित "परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" तथा "काम के बदले अनाज योजना" इस दिशा में काफी प्रभावी सिद्ध हो सकती है। अगर सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए भरसक प्रयत्न नहीं किए

तो सम्भवतः देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं। इनका उत्थान मात्र नारों वायदों द्वारा नहीं होगा, इनके लिए भरसक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार ग्रामीण विकास के लिए सराहनीय प्रयत्न कर रही है, अगर इसके साथ ही स्वयं सेवी संस्थाएं भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें तो इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण तेजी से हो सकता है।

वर्तमान में सरकार ने भी इन संस्थाओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया है। लाइन्स क्लब और रोटेरी क्लब जैसे स्वयं सेवी संगठनों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार को इस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिएं जिससे इन संगठनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो। सरकारी अधिकारियों का योजना बनाने तथा दीर्घकालीन कार्यक्रमों से विशेष सम्बन्ध रहता है जबकि ये संगठन अल्पकालीन योजना को जो कि शीघ्र फल देने वाली हो, तेजी से क्रियान्वित कर सकते हैं। ग्रामीण विकास इन संगठनों के लिए कोई नया कार्यक्रम नहीं है। काफी समय से ही ये अपना भरसक योगदान देते आ रहे हैं जैसे "ट्रस्ट एवं सामुदायिक संगठन" जोकि गोशाला, गोपालन समिति आदि के रूप में प्रचलन में हैं। इन्होंने यह सिद्ध करके भी दिखा दिया है कि न्यूनतम लागत पर किस प्रकार से कार्य होता है। उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने की भी इनसे काफी संभावना है।

कई विकास कार्यक्रम गांवों से ही प्रारम्भ होते हैं। चूंकि इन संगठनों के सदस्यों का ग्रामीण जनता से घनिष्ठ सम्बन्ध होने की वजह से, हम उनको न्यूनतम लागत पर क्रियान्वित कर सकते हैं। जब किसी गांव को या गांवों के समूह को विकास कार्यक्रम के लिए चुना जाता है तो उसके बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। जहां तक सम्भव हो पर्याप्त आंकड़े व सम्बन्धित अन्य तथ्य इकट्ठे किये जाने चाहिए। इससे स्थान, समय आदि का चुनाव करने में काफी मदद मिलती है। इन क्षेत्रों में प्रायः उसी योजना को क्रियान्वित करना चाहिए जिसके लिए जनता में विशेष रुचि हो। कई कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जिनके लिए जनता में रूचि जाग्रत करनी होती है। अगर परियोजना शीघ्र फल देने वाली उपयुक्त लागत लाभ के अनुपात वाली व भूमि से सम्बन्धित है, तो उसकी सफलता की बहुत ज्यादा आशा की जा सकती है।

नीचे कुछ कार्यक्रमों की सूची दी जा रही है जो सिर्फ प्रतीकात्मक है, न कि ठोस प्रमाण। ये सभी परियोजनाएं प्रयोगात्मक हैं जोकि काफी हद तक अनुभव के आधार पर पहचानी गई हैं :

पीने के पानी की पूर्ति

इसके अंतर्गत कुओं, तालाबों तथा अन्य साधनों का विकास व देखभाल सम्मिलित है। अच्छे पानी से मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा तथा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में भी काफी मदद मिल सकेगी। यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि पानी का बुखार जैसे रोगों के प्रसारण में काफी योगदान है। पानी के उपचार से रोगों में कमी की जा सकती है। कुएं ही भारत के गांवों में पानी की पूर्ति का प्रमुख साधन हैं। इन लेखों से पता चलता है कि अच्छा पानी उपलब्ध न होने पर विभिन्न समस्याएं अपना उग्र रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए सरकार ने भी एक "त्वरित ग्रामीण आपूर्ति कार्यक्रम" चलाया है। राज्य सरकारें भी इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से क्रियान्वित कर रहीं हैं। केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को इस वर्ष 38.20 करोड़ रु० पीने के पानी के लिए उपलब्ध किए हैं तथा अनुमान है कि अगले 6–7 वर्षों में 900 करोड़ रु० उपलब्ध करेगी। 31 मार्च 1978 तक जीवन बीमा निगम ने भी विभिन्न राज्य सरकारों को पेय-जल परियोजनाओं के अंतर्गत 29.50 करोड़ रू० प्रदान किए हैं।

जिन क्षेत्रों में सरकारी परियोजनाएं चल रही हैं उन क्षेत्रों की जनता से लागत का 10 प्रतिशत वसूल किया जा सकता है। अगर कहीं पर यह राशि वसूल न हो या उचित न हो तो स्वयं सेवी संगठन इस राशि का भुगतान कर सकते हैं। इससे एक तरफ तो उस परियोजना की लागत कम आएगी तथा दूसरी तरफ ग्रामीण जनता का भी सक्रिय सहयोग मिलने लगेगा। कुओं का नियमित उपचार भी एक समाज सेवा है। हम क्लोरीनेशन पोट सिस्टम (एक विशेष प्रकार की पद्धति जिसके द्वारा पानी शुद्ध हो सके) जिसको कि "राष्ट्रीय वातावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर" ने बनाया है, अपना सकते हैं। इस पद्धति से कुएं का पानी लगभग 20 दिनों तक शुद्ध रहता है। वास्तव में आधुनिक समाज को भी ऐसी ही पद्धति की आवश्यकता है जिसके माध्यम से पानी कई दिनों तक उपचारित रह सके। ऐसे सामुदायिक कुएं जिनसे 900 से 1300 लीटर पानी प्रतिदिन निकाला जाता है, उनके लिए एक क्लोरीनेशन पोट पर्याप्त है। अगर प्रतिदिन इससे ज्यादा पानी निकाला जाता है तो दो बर्तनों की आवश्यकता होगी। इस बर्तन को हम नागपुर से सिर्फ 25 रु० में मंगवा सकते हैं।

औद्योगीकीकरण

ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योग धन्धे स्थापित करने में मदद कर सकती हैं जिससे वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होगी वितरण की प्रक्रिया व रोजगार की दृष्टि से भी हम को आशानुकूल सफलता मिल सकती है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी उपलब्ध हो सकता है। जब ग्रामीण नागरिकों को रोजगार मिलने लगेगा तो उनकी आय में वृद्धि होगी जिससे पूंजी निर्माण की दर भी बढ़ सकती है।

कृषि : किसानों को कृषि आदान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। दुग्ध उत्पादन पशुपालन, सुधरी हुई खेती के लिए प्रशिक्षण व मार्गदर्शन आदि के लिए उचित व्यवस्था की जा सकती है। चूंकि हमारे देश में खाद्यान्न की निरन्तर कमी महसूस हो रही है, अतः मछली उत्पादन में वृद्धि करके उस कमी को दूर किया जा सकता है।

शिक्षा, चिकित्सा आदि

वर्तमान में हमारे देश में अधिकांश किसानों को शिक्षित करके उनका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी इन संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। एक गरीब व्यक्ति का निःशुल्क उपचार करना भी एक समाज सेवा है । ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए कैम्प का आयोजन कर सकती हैं । जनता में अन्धविश्वास रूढ़िवादी प्रथाएं इस कदर तक छाई हुई हैं कि समाज में किसी नवीन तकनीक को लागू करने में हम काफी कठिनाई अनुभव करते हैं । ये संस्थाएं अनुकूल वातावरण तैयार कर देश के आर्थिक विकास में आशानुकूल सहयोग दे सकती हैं ।

नीचे कुछ सामान्य कार्यों की जानकारी दी जा रही है जो इनके माध्यम से किये जा सकते हैं :—

(1) ग्रामीण जनता को सड़कों की देखभाल व सुधार के लिए तैयार करना ताकि अच्छा वातावरण बने ।

(2) शैक्षणिक चल-चित्र, जादू के खेल व अन्य कार्यक्रम करवाना।

(3) जिनके पास मकान नहीं हैं उनके लिए इनकी व्यवस्था करना ।

(4) राजस्थान के नागरिकों को अन्त्योदय योजना के माध्यम से सहायता दिलाना ।

(5) ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था सुधारने के विभिन्न प्रयत्न करना ।

(6) सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना ।

(7) ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की उन्नति के लिए साधनों को ध्यान में में रखते हुए विभिन्न प्रयत्न करना ।

(8) जनता का मनोबल बढ़ाना ।

सरकार ने भी उन संस्थाओं को जोकि, ग्रामीण विकास में पूंजी लगाना चाहती हैं, आयकर में कुछ छूट देकर एक सराहनीय कार्य किया है । सरकार को इन संस्थाओं से जितनी आशा थी उतनी सफलता नहीं मिल पाई है । समाज सेवी भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रामीण जनता को समझाना कोई आसान कार्य नहीं है । अगर सरकार बड़े घरानों को यह आदेश दे कि वे ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी लगाकर विकास की प्रक्रिया में तेजी लाएं तो स्थिति सुधर सकती है । ग्रामीण विकास भारत में एक चुनौती है क्योंकि, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, आदतें आदि के भंयकर कुचक्र में लोग जकड़े हुए हैं, अतः वहां पर कई प्रकार की संचार व्यवस्था व विभिन्न प्रकार की सेवाएं लागू करनी चाहिए तब कहीं वें संभल सकते हैं। ✱

व्याख्याता राजकीय महाविद्यालय
नीमकाथाना (सीकर)
राजस्था

मद्यनिषेध और गांधी जी

महाराज

गांधी जी मद्यपान को शारीरिक तथा मानसिक दुर्बलता, संवेगात्मक असंतुलन, समाज तथा राष्ट्र के प्रति घोर उदासीनता, आर्थिक कष्ट, हिंसा, संघर्ष, अपराध, दुर्घटना, विलासिता, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों की जड़ मानते थे । उन्होंने लिखा है, "शराब शैतान की ईजाद है । इस्लाम की किताबों में कहा गया है कि जब शैतान ने पुरुषों और स्त्रियों को ललचाना शुरू किया तो उसने शराब दिखाई थी . मैंने कितने ही मामलों में यह देखा है कि शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेती है, बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। उस नशे में वे कुछ क्षणों के लिए उचित और अनुचित का, पुण्य और पाप का, यहां तक कि मां-बहन और पत्नी का भेद भी भूल जाते हैं. मैंने शराब के नशे में पस्त बैरिस्टरों को नालियों में लोटते और पुलिस के द्वारा घर ले जाते देखा ।"

गांधी जी मद्य, अफीम, गांजा, चरस तथा कोकिन आदि सभी प्रकार के नशों को जनमानस एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक अभिशाप मानते थे । उनका कहना था, "हमें ऐसी किसी भी चीज को नहीं खाना-पीना चाहिए, जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान न करे। मद्यादि में ऐसा कोई भी पोषण तत्व नहीं है जिसके आधार पर उन्हें आहार-पदार्थ की श्रेणी में रखा जा सके। फिर हमें मौज-मस्ती तथा आमोद-प्रमोद के लिए नहीं खाना पीना चाहिए, बल्कि इसलिए खाना-पीना चाहिए कि हमारे शरीर ईश्वर के मंदिर बन जायें और हम उनका उपयोग मनुष्य-जाति की सेवा कर सकें. "

मद्यपान को गांधी जी भयंकर व्याधि समझते थे. उनके अनुसार, मद्यपान का व्यसन अनेक दृष्टियों से मलेरिया तथा ऐसे ही अन्य रोगों से उत्पन्न व्याधि से भी बुरा है, क्योंकि जहां मलेरिया आदि से केवल शरीर को ही क्षति पहुंचती है वहां मद्यपान से शरीर तथा आत्मा दोनों क्षतिग्रस्त होते हैं । मद्यपान शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक तथा आर्थिक सभी दृष्टियों से व्यक्ति को नष्ट करता है.

गांधी जी मद्यनिषेध को स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्व देते थे । एक बार उन्होंने कहा था—"यदि ब्रिटिश सरकार मुझसे कहे कि मैं भारत को इस शर्त पर स्वराज्य दे सकता हूं कि समस्त भारतवासी मद्यपान करने लगें, तो मैं ऐसे स्वराज्य को अस्वीकार कर दूंगा." "उन्होंने' यंग इंडिया में लिखा था—"यदि मुझे एक घंटे के लिए भारत का डिक्टेटर बना दिया जाए तो जो पहला कार्य मैं करूंगा, वह होगा—बिना मुआबिजा दिए शराब-ताड़ी की सभी दुकानों को बंद करना ।'

गांधी जी मद्यपान को सबसे बड़ी बुराई मानते थे। अतः वे आजीवन मद्यनिषेध के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने अपने 18 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रमों में तथा कांग्रेस के रचनात्मक कार्य में मद्यनषेध को सर्वोच्च प्राथमिकता दी । उनका कहना था, शराब;

अफीम आदि पदार्थों के व्यसन में फंसे हुए अपने करोड़ों भाई-बहिनों के भविष्य को हम सरकार की महरबानी या मरजी पर झूलता नहीं छोड़ सकते, इन व्यसनों के पंजे में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने के उपाय निकालने होंगे।" उन्होंने वाइसराय को भी लिखा था—

"मेरा अनुरोध है कि आप शराब की आमदनी का अस्तित्व मिटा देने और शराबखानों को उठा देने के कार्य में मेरा साथ दें।"

गांधी जी के निर्देश पर कांग्रेस ने सन् 1923 में मद्यनिषेध के लिए संपूर्ण भारत में प्रबल आंदोलन किया—लाखों स्त्री पुरुषों ने शराब की दुकान तथा ठेकों पर धरनों एवं पिकेटिंग के द्वारा नशाखोरी के विरुद्ध तीव्र आक्रोश प्रकट करके जेलें भरीं।

इरविन समझौते के अन्तर्गत गांधी जी ने लार्ड इरविन के सामने जो शर्तें रखी थीं, उनमें संपूर्ण मद्यनिषेध की शर्त भी थी।

गांधी जी की प्रेरणा से सन् 1931 में कांग्रेस के करांची अधिवेशन में स्वीकृत मौलिक अधिकारसंबंधी प्रस्ताव में यह धारा सम्मिलित की गई कि "चिकित्सा संबंधी उपयोग के अतिरिक्त सभी मादक पेय पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए।"

सन् 1935 में सभी कांग्रेसजनों ने प्रतिज्ञा की कि "हम स्वयं भी मादक पदार्थों के सेवन से बचेंगे और दूसरों को भी बचायेंगे।" तथा कांग्रेस विधान की धारा 4 (ख) में सदस्य बनने के लिए यह शपथ वाक्य जोड़ा गया—" मैं अपने को मादक पेयों तथा मादक औषधियों के प्रयोग से दूर रखता हूं।"

जब सन् 1937 में अनेक प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें बनीं तो गांधी जी ने उनसे अपने प्रान्तों में मद्यनिषेध लागू करने को कहा। फलतः सभी कांग्रेसी सरकारों ने अपने प्रांतों में मद्यनिषेध लागू कर दिया।

गांधी जी 'यंग इंडिया' तथा 'हरिजन' में सदैव मद्यनिषेध के पक्ष में प्रभावशाली शब्दों में लिखते रहे तथा मद्यनिषेध के विरोध में जो दलीलें दी गयीं या दी जाती हैं, उनका जोरदार तथा तर्कपूर्ण शब्दों में खण्डन करते रहे।

'शराबबन्दी जोर-जबरदस्ती के आधार पर नहीं होनी चाहिए और जो लोग शराब पीना चाहते हैं, उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस दलील के उत्तर में गांधी जी ने लिखा है—

"सरकार का यह कोई कर्तव्य नहीं है कि वह अपनी प्रजा की कुटेवों के लिए अपनी ओर से सुविधाएं दे। हम वेश्यालय को अपना व्यापार चलाने के लिए अनुमति पत्र नहीं देते। इसी तरह हम चोरों को अपनी चोरी की प्रवृत्ति पूरी करने की सुविधा नहीं देते, मैं शराब को व्यभिचार तथा चोरी दोनों से ज्यादा निर्दयी मानता हूं। क्या यह अक्सर इन दोनों की जननी नहीं होती? शराब की आदत मनुष्य की आत्मा का नाश कर देती है और उसे धीरे-धीरे पशु बना डालती है।"

मद्यपान पर प्रतिबंध लगाने से अवैध रूप से मद्य का निर्माण होगा और लोग चोरी छिपे मद्यपान करें।" इस दलील के उत्तर में गांधी जी का कहना है—

"चोरी का धंधा तो कयामत तक चलेगा, तो क्या इसी आधार पर लोगों को चोरी करने का लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए? क्या वस्तुओं की तुलना में दिमाग की चोरी कम बड़ा अपराध है? नैतिक उत्थान के लिए भौतिक और शारीरिक उत्थान से कम मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। मैं तो यह चाहता हूं कि अवैध मद्य-निर्माण को कठोर दण्डनीय अपराध बना दिया जाए। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को भारी जुर्माना अथवा निश्चित काल के लिए कारागार में डाले जाने की व्यवस्था करना चाहूंगा, जो सड़कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों में सुरापान करे।"

'मद्यनिषेध से राज्यों को राजस्व की भारी हानि उठानी पड़ेगी।' इस संदर्भ में गांधी जी ने लिखा है—

"मद्यपान तथा अन्य नशीले पेयों से होने वाली राजस्व की आय एक निकृष्टतम ढंग का कराधान है। स्वास्थ्य की दृष्टि से लगाए जाने वाले सभी करों का प्रतिदान दस गुनी आवश्यक सेवाओं के रूप में करदाता को प्राप्त होना चाहिए। आबकारी के रूप में तो लोगों को अपने ही नैतिक, मानसिक और शारीरिक भ्रष्टाचार के लिए राशि चुकानी होती है। वह उन लोगों पर पड़ने वाला एक बलात् भार है, जो उसे हल कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। मद्यनिषेध से राजस्व की हानि केवल ऊपरी तौर पर होगी, असलियत में नहीं। मद्यनिषेध से अथवा इस पतनोन्मुखी कर के हटा दिये जाने से मद्यप या करदाता अधिक कमाने में और अधिक अच्छी तरह व्यय करने में समर्थ हो सकेगा। अतः ऐसा होने से केवल लाभ ही प्राप्त न होगा बल्कि राष्ट्र का ठोस आर्थिक हित भी होगा।"

मद्यनिषेध से, जो धन मद्य-क्रय पर व्यय होता था, वह अन्य वस्तुओं के क्रय पर व्यय होगा। अतः मद्यनिषेध से वस्तुओं का उत्पादन तथा उनकी खपत बढ़ेगी। फलतः उत्पादन शुल्क, बिक्रीकर आदि के रूप में राजस्व में वृद्धि होगी। अतः यह आशंका निराधार है कि मद्यनिषेध से राजस्व की भारी हानि होगी। यदि यह मान भी लिया जाए कि राजस्व की हानि होगी, तो सरकार को राजस्व चाहिए किसलिए? जनकल्याण के लिए ही तो, और मद्यनिषेध स्वयं एक महानतम जनकल्याण है। अतः सरकार को राजस्व के लालच में न पड़कर शीघ्रातिशीघ्र गांधी जी के चिर स्वप्न को साकार बनाना चाहिए।

हमारी वर्तमान सरकार ने गांधी जी की समाधि पर प्रतिज्ञा ली है कि वह देश को गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुसार ले जाएगी और गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुसार सरकार का सबसे पहला कार्य—मद्यनिषेध लागू करना, होना चाहिए।

गांधी जी चाहते थे कि हमारी नयी राष्ट्रीय सरकार सत्ता हाथ में लेने पर पहला कार्य नशाबंदी का करे। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि हम शराब तथा अन्य नशीले पेयों की आदत के शिकार बने रहे तो हमारी स्वतंत्रता भी गुलामी की स्वतंत्रता के तुल्य होगी।

यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी सरकार अपनी प्रतिज्ञा और दावे के अनुसार मद्यनिषेध के लिए पूर्ण कटिबद्ध है। फलस्वरूप गुजरात तथा तमिलनाडु में पूर्ण रूप से तथा अन्य राज्यों में आंशिक रूप से मद्यनिषेध लागू हो गया है, और यह आशा प्रतीत होती है कि 3-4 वर्षों के अंदर समस्त भारत में पूर्ण मद्यनिषेध लागू हो जायेगा। लेकिन यह कार्य मात्र कानून बना देने से सफल नहीं हो सकता, इसके लिए सामाजिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को तथा मद्यनिषेध समर्थक सामाजिक कार्यकर्ताओं को जनशिक्षा का कार्य करने के लिए सक्रिय होना होगा। गांधीजी ने भी कहा था, "नशाबंदी का तात्पर्य एक प्रकार से राष्ट्र की वयस्क शिक्षा से है, यह कार्य शराब की दुकानों के बंद हो जाने मात्र से पूर्ण नहीं होगा, इसके लिए जनमानस परिवर्तित करना होगा।" ✳

महाराज
बझेरा पो० सिमिरिया वाया सोंठ, झांसी

ग्रामीण विकास की ओर विकसित देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यालय, कृषि विकास कोष तथा ऐशियाई विकास बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इसके साथ ही, ग्रामीण विकास के प्रबन्ध की दृष्टि से इसकी वास्तविक प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों के बारे में बहुत से प्रश्न उठ खड़े होते हैं। इस संदर्भ में योजना प्रबन्ध की दृष्टि से ग्रामीण विकास प्रबन्ध की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं:

(1) ग्रामीण विकास के लक्ष्यों की स्पष्टता तथा गणना।

(2) उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का आबंटन।

(3) ऐसे संगठनात्मक स्वरूप का निर्माण जिसमें तकनीकी और प्रबन्ध योग्यता भी हो तथा इस प्रकार की विकास प्रक्रिया से लाभान्वित होने वाले लोगों की इस प्रक्रिया में भागीदार बनने की इच्छा।

(4) ग्रामीण विकास के लिए प्रबन्ध प्रक्रिया के लिए अलग विभाग की व्यवस्था।

के विकास में आय तथा रोजगार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध पूंजी तथा मानवीय संसाधनों के उपयोग में उच्चस्तरीय प्रबन्ध क्षमता की जरूरत अधिक होती है। हमारे विचार से विकेन्द्रीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति अथवा दूसरे शब्दों में दिनों दिन बदलती तकनीकी आवश्यकताओं और समस्या-मूलक ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना करने में ग्रामीण विकास के प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दूसरी तरफ सामाजिक विकास बहुत कुछ स्वयं लोगों पर निर्भर है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला हर आदमी या तो चाहता है कि उसकी आय और बढ़े और उसको रोजगार हासिल हो। उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अपेक्षित शिक्षा तथा सहायक सुविधाओं की प्राप्ति इस बात पर निर्भर है कि उसे अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की कितनी समझ है। इस वजह से सामाजिक विकास पूर्णतः लोगों की सामाजिक-राजनीतिक सूझ-बूझ और इस प्रक्रिया में सहयोग देने की उनकी इच्छा पर निर्भर है। यदि हम इन दोनों प्रक्रियाओं को समझ कर विभिन्न स्तरों पर इनके विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से जिला प्रशासन की जांच करें तथा जिला स्तर पर

ग्रामीण विकास का विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध

एन० वी० रत्नम

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत जैसे विकासशील देश में जहां पहले औपनिवेशिक शासन रहा था, ग्रामीण विकास कार्य सरकारी एजेंसियों की प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में लिया गया है और इसलिए ग्रामीण विकास के प्रशासनिक स्वरूप के संगठन पर विचार करते समय हमें देश के विकास प्रशासन का विश्लेषण तथा इसकी प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान देना प्रारंभ में ही आवश्यक हो जाता है। प्रक्रियागत दृष्टि से, ग्रामीण विकास पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है—(अ) संसाधनों एवम् मानवीय क्षमता में समरूपता स्थापित करना और (ब) साथ ही अपेक्षित आर्थिक लक्ष्यों (आय एवं रोजगार) की पूर्ति के लिए इन दोनों का विकास करना। इस दृष्टि से ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को दो उप-प्रक्रियाओं में बांटा जा सकता है—(1) आर्थिक विकास तथा (2) सामाजिक विकास

सैद्धांतिक दृष्टि से, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास या आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं में सामाजिक लक्ष्य भी शामिल होते हैं। योजनाओं के आर्थिक विश्लेषण में भी सामाजिक लक्ष्यों को नियोजन के सहायक लाभ के रूप में शामिल किया जाता है। लेकिन प्रबन्ध प्रक्रिया की दृष्टि से सामाजिक विकास और आर्थिक विकास का अलग-अलग वर्गीकरण किया जा सकता है। संगठनात्मक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और सहायक व्यवसायों ही एक नियंत्रण संगठन में ही इन्हें समन्वित करने की बात सोचें तो हम जिला आयोजन तथा प्रखंड आयोजन की वर्तमान अवस्था को और अच्छी तरह समझ सकते हैं।

विगत 30 वर्षों में आर्थिक विकास और औद्योगीकरण बढ़ने के साथ ही राजस्व अर्जन करने की दृष्टि से भूमि का महत्व कम होता गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के युग में इस विभाग की तकनीकी सेवाओं की वृद्धि की गई थी। यह विभाग अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सेवाओं के काम की देखभाल करता है। इस प्रकार तकनीकी सेवाएं अब भी राजस्व विभाग के अधीन बनी हुई हैं और औपनिवेशिक शासन की परम्परा आज भी चल रही है।

औपनिवेशिक काल में जिला स्तर तक अधिकारों के परम्परागत किन्द्रीकरण का काम राजस्व विभाग की मार्फत शुरू हुआ था और यह विकेन्द्रीकरण अब भी जारी है। विगत दस वर्षों के दौरान पंचायती राज के तीन स्तरीय स्वरूप को देश के अधिकांश राज्यों में तकनीकी विभागों में ऊपर से नीचे की ओर समन्वयीकरण के कारण बहुत धक्का पहुंचा है।

प्रबन्ध और प्रशासन क्षमता तथा तकनीकी क्षमता के इस अंतर के परिणाम हमारी आंखों के सामने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित तकनीकी का विस्तार बढ़ाने के साथ-साथ हाल ही में

में कृषि और सहायक व्यवसायों के लिए विकास आयोजन में तकनीकी साधनों का महत्व कम हो गया है। स्वयं जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली के ठीक से काम न करने तथा क्षेत्रीय आधार पर ग्रामीण विकास के प्रबन्ध के विकेन्द्रीकरण की ओर राज्य प्रशासन की उदासीनता के कारण जिला स्तर पर अपेक्षित तकनीकी क्षमता प्राप्त नहीं हो रही है और विकास प्रशासन में निर्णय उचित ढंग से नहीं किये जा रहे हैं।

प्रशासनिक और तकनीकी सेवाओं का काम अलग-अलग चलने का एक महत्वपूर्ण परिणाम सरकारों द्वारा विकास कार्यों के लिए स्वशासी निगमों या एजेंसियों से परिलक्षित होता है। स्थापित डेयरी विकास निगमों या एजेंसियों से सरकारों द्वारा स्थापित विकास निगम, चाहे राज्य स्तरीय स्थापित डेयरी विकास निगम या कृषि उद्योग निगम हों, जिला स्तर पर स्थापित लघु किसान विकास एजेंसी की तरह बड़े या छोटे निगमों का प्रबन्ध सम्बन्धित विभागों के अधिकारी या प्रशासनिक कार्यों के अधिकारी ही करते हैं। इससे इस स्वशासी निगमों की स्थापना निरर्थक हो गई है। इनकी स्थापना योजना प्रबन्ध को दृष्टिगत रखते हुए की गई है। उद्देश्य यह था कि बजट प्रधान सरकारी स्वरूप और खर्च से बचकर बाहर से आवश्यक प्रबन्धक अधिकारी मंगाए जाएं। यह उद्देश्य देश में प्रबन्ध शिक्षा के क्षेत्र में प्रर्याप्त रूप से परिलक्षित होता है जिसमें व्यवसायों और उद्योगों से सम्बद्ध लोगों ने प्रबन्ध प्रशिक्षा प्राप्त इंजीनियरों का महत्व स्वीकार कर लिया है। लेकिन चाहे केन्द्रीय क्षेत्र में हो या राज्य क्षेत्र में ग्रामीण विकास या कृषि विकास के कार्य में इस प्रकार के व्यावसायिक प्रबन्ध को अभी तक महत्व नहीं दिया जा रहा है।

विकेन्द्रीकृत ग्रामीण विकास के संगठन की कल्पना या तो जिला स्तर पर या प्रखंड स्तर पर ही की जा सकती है क्योंकि जिला प्रशासन के इन दोनों स्तरों पर इस प्रकार के संगठन की प्राथमिक संरचना देश के सभी राज्यों में अब तक की जा चुकी है। लेकिन इस संगठनात्मक संरचना को कार्य रूप में उपयोगी बनाने के लिए कृषि एवम् सहायक विकास तथा सामाजिक विकास कार्य की सीमाएं निर्धारित करने की जरूरत है।

जहां तक उद्योगों का प्रश्न है, इनके प्रबन्ध के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इसमें मजदूरों की भागीदारी आवश्यक समझी जाने लगी है। उद्योगों की प्रबन्ध प्रक्रिया में मजदूरों को भागीदार बनाने का महत्व स्वीकार कर लिया है। लेकिन जैसा कि हाल में एक प्रबन्ध विशेषज्ञ ने अपना मत प्रगट किया है कि प्रबन्ध में मजदूरों को भागीदार बनाने के पहले इसका व्यवसायीकरण आवश्यक है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में लोगों को भागीदार बनाने से पहले जिला स्तर तथा इससे नीचे के स्तरों पर प्रशासकों और तकनीशियनों के बीच प्रबन्ध प्रक्रियाओं का व्यवसायीकरण करना आवश्यक है। इसका अर्थ यह हुआ कि संगठन के सन्दर्भ में तकनीकी ज्ञान का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए जिला स्तर पर प्रबन्ध में भागीदारी का काम इस प्रकार शुरू किया जाए कि इसमें विकास प्रशासक और तकनीशियन दोनों शामिल हों।

हमारे विचार से सामाजिक विकास कार्यक्रमों के लिए यह करना भी पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि सामाजिक सुविधाओं और समाज सेवा कार्यक्रम के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों की भागीदारी प्रारंभ में ही शुरू करनी होगी।

ग्रामीण विकास के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध में विकास प्रशासकों के साथ तकनीशियनों को बराबर का भागीदार बनाना आवश्यक है। संगठन संरचना में इसका बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो इस प्रक्रिया में अधिकारों के मामले में बराबरी की प्रक्रिया शुरू करने में सबसे पहले सामूहिक रूप में नौकरशाही का मौजूदा रूप समाप्त करना होगा। यह तभी संभव है जब तकनीशियनों और प्रशासकों के बीच बराबर की भागीदारी की कल्पना की जाए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला प्रशासन से सम्बद्ध तकनीशियनों को प्रशासन या प्रबन्ध सम्बन्धी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती जिसके कारण अनुशासन के कार्यक्रम का आयोजन और उसकी कार्यान्विति उचित ढंग से नहीं हो पाती। ग्रामीण विकास के प्रस्तावित विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध में तकनीशियनों के विभिन्न समूहों को एक दूसरे के काम की तथा तकनीशियनों और प्रशासकों के लिए एक दूसरे के काम की ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा होने पर संगठनों को ग्रामीण विकास के लिए अर्थकालीन जन-शक्ति आयोजित करना सम्भव हो सकेगा।

तीसरे इस संगठनात्मक कार्य को विशुद्ध रूप से राजस्व प्रशासन की संरचना से अलग कर देना चाहिए और यह बात स्पष्ट रूप से मान लेनी चाहिए कि राजस्व प्रशासन आज की तरह प्रमुख भूमिका न निभा कर सिर्फ सहायक भूमिका ही निभा सकता है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास की इन प्रक्रियाओं का काम एक दूसरे से अलग कर दिया जाना चाहिए तथा जिला प्रशासन के उचित स्तरों पर इनके काम स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिए जाने चाहिए। उदाहरण स्वरूप कृषि और सहायक विकास प्रक्रिया में उच्च तकनीकी ज्ञान अत्यावश्यक है तथा योजनाओं के आयोजन कार्यान्विति और समन्वयन के लिए अंतर्व्यावसायिक ज्ञान तथा प्रबन्ध और व्यावसायिक क्षमता अपेक्षित है। इस उद्देश्य की भली-भांति पूर्ति तभी हो सकती है जबकि यह स्पष्ट किया जाए कि जिला स्तर पर नियंत्रक संगठन कैसा होगा और इसे नियंत्रण के लिए जवाबदेह बना दिया जाए। सामाजिक विकास के कार्य के विभिन्न समुदायों के लोगों की राजनैतिक तथा सामाजिक प्रेरक शक्तियों और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना होगा। इसके लिए प्रखण्ड स्तर पर पंचायती राज की संरचना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। पंचायती राज संस्थाओं को आंशिक रूप से समुदाय के लोगों से और आंशिक रूप से संसाधन जुटाने का संवैधानिक अधिकार देना होगा।

यह भी मान्यता देनी होगी कि रोजगार के अवसर पैदा करना अपने आप में लक्ष्य न हो कर ग्रामीण विकास के प्रबन्ध की इन प्रक्रियाओं को मिला देने का कार्य है। यदि

[illegible] के अन्तर्गत कम स्तर में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने जैसी योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी जिसका परिणाम यह होगा कि इस काम का योजनाबद्ध रूप में किया जाना सम्भव नहीं होगा।

संक्षेप में ग्रामीण विकास की विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध व्यवस्था योजना प्रबन्ध की दृष्टि से की जानी चाहिए जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं होंगी :—

(1) उद्देश्य की स्पष्टता तथा आंकड़े तैयार करना;

(2) उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का आबंटन ;

(3) उचित संगठनात्मक स्वरूप का निर्माण करना; तथा

(4) ग्रामीण विकास के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध का विभागीकरण

वर्तमान जिला प्रबन्ध बहुत पहले से राजस्व विभाग पर निर्भर रहा है और राजस्व विभाग पुलिस और न्यायिक सेवा को अब अन्य सेवाओं की अपेक्षा अधिक महत्व वाली सेवा माना जाने लगा है तथा तकनीकी विभागों को उनसे कम महत्व दिया जाता है। जिला स्तर पर राजस्व पर जोर देने वाली इस ऐतिहासिक आवश्यकता ने राजस्व स्तर से ग्रामीण स्तर तक तकनीकी विभागों को एक दूसरे से जोड़ दिया जिससे प्रखंड विकास को क्षति पहुंची। ग्रामीण विकास के लिए विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध की दृष्टि अपनानी होगी तथा कम से कम जिला स्तर पर अधिकारों का इस प्रकार का ध्रुवीकरण समाप्त करना होगा और साथ ही संगठन का स्वरूप इस तरह स्थिर करना होगा जिससे जिला स्तर या प्रखंड स्तर पर समूह प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन मिले।

जहां तक ग्रामीण विकास की प्रक्रिया का प्रश्न है उसमें (1) कृषि और सहायक आर्थिक विकास गतिविधियों तथा (2) सामाजिक सेवाओं और सामाजिक सुविधाओं के कार्य के लिए सेवाओं का विभागीकरण करना होगा। इन कार्यक्रमों में लोगों की सामाजिक-राजनैतिक पृष्ठभूमि में उनकी आवश्यकताएं और आकांक्षाएं प्रतिबिम्बित होनी चाहिए।

ग्रामीण विकास की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था का लक्ष्य जिले में उचित स्तरों पर विकेन्द्रीकृत विभागीय स्वरूप की स्थापना होनी चाहिए। इस दिशा में आवश्यक परिवर्तनों के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:—

(1) ऐसी सामूहिक दृष्टि अपनाई जाए जिसमें तकनीशियन और प्रशासक दोनों बराबर के भागीदार रहें हों तथा कार्यक्रम में जिले में विकास कार्य के लिए कृषि और सम्बद्ध विकास कार्यों के लिए प्रबन्ध अधिकारियों के व्यवसाय के आधारित काडर का निर्माण हो।

(2) संगठन विकास के ऐसे कार्यक्रमों का विकास किया जाए जिसके अन्तर्गत व्यावसायिक प्रबन्ध अधिकारी दीर्घकालीन जन-शक्ति का आयोजन करें।

(3) राजस्व प्रशासन को जिले के इस संगठनात्मक स्वरूप में सहायक दर्जा प्राप्त हो।

(4) जिला प्रशासन में ग्रामीण विकास की प्रक्रियाओं से सम्बन्धित अधिकारियों को उचित स्तरों पर विशिष्ट कार्य सौंपे जाएं। चूंकि विकास आयोजन के लिए उच्च स्तर की तकनीकी क्षमता आवश्यक है तथा योजना पर आधारित आर्थिक गति विधियों के लिए प्रबन्ध कुशलता भी अपेक्षित है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और क्षमता विकास कार्यों के लिए जिला प्रशासन को जवाबदेह बना दिया जाए। पंचायती राज व्यवस्था में प्रखंड प्रशासन आवश्यक संस्थागत सेवाओं की व्यवस्था करें।

(5) हमारे विचार से ग्रामीण विकास की प्रक्रिया से रोजगार के अवसर तथा लोगों की आय भी बढ़ेगी। ये दोनों कार्य साथ-साथ होंगे जिन्हें अलग-अलग नहीं किया जा सकता। इसी वजह से यद्यपि रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य सराहनीय है। इसे स्वयं ग्रामीण विकास की प्रक्रिया से अलग करके नहीं देखा जा सकता है।

(यह लेख इण्डिया—यू० एन० एस्केप राउण्ड टेबल में प्रस्तुत पत्र के आधार पर है)

अनुवादक :

शिखा त्यागी,
बी० 292, नानकपुरा,
नई दिल्ली-110021

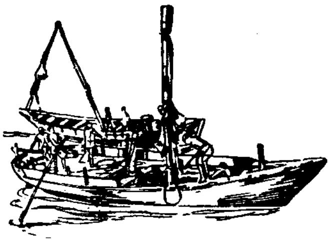

दालों का उत्पादन बढ़ायें, खायें और शरीर बनायें

* बटुकेश्वर दत्त सिंह "बटुक"

सन्तुलित आहार में दालों का विशेष स्थान है। दैनिक भोजन में इनको सम्मिलित करने से विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति होने के साथ ये व्यञ्जनों में विविधता लाती और उन्हें अधिक स्वादिष्ट, रुचिकर एवं आकर्षक बनाती हैं। मानव स्वभाव के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक आहार में विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुयें सम्मिलित करना चाहता है। यह बात दूसरी है कि धन के अभाव या खर्च की अधिकता के कारण वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति न कर पाता हो। तो भी उसे काम करने की शक्ति पाने, शरीर की बढ़ोतरी व उसकी दैनिक टूट-फूट की मरम्मत होने और बाहरी व्याधियों से शरीर की सुरक्षा होने के लिये भोजन तो करना ही होता है।

दालों का अधिक उत्पादन क्यों ?

अधिकांशतया हम भारतीयों के भोजन में शरीर को बनाने और उसे स्वस्थ रखने के लिये आवश्यक पोषक तत्व-प्रोटीन की कमी पाई जाती है। इस प्रोटीन को दूध-दही, मछली, मांस, अण्डा, सूखेमेवों, मूंगफली, दालें, तेलहन आदि को दैनिक आहार में सम्मिलित करके पूरा किया जा सकता है। परन्तु इनमें से अधिकांश खाद्य पदार्थ साधारण आदमी की पहुंच से परे हैं। इसीलिये यह नितान्त आवश्यक है कि दालों का उत्पादन बढ़े और प्रत्येक मनुष्य को प्रोटीन जैसे अत्यावश्यक पोषक तत्व के लिये दैनिक भोजन में दालें तो खाने को मिलें हो। एक साधारण आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति के लिये दालें ही मांस का काम करती हैं। जिस तरह नाइट्रोजन वाले उर्वरक देने से पेड़-पौधे भली भांति बढ़ते हैं, ठीक उसी भांति प्रोटीन से भरपूर दालों को खाने से आदमी का शरीर पनपता है। आहार विशेषज्ञों के अनुसार एक शाकाहारी प्रौढ़ भारतीय को प्रतिदिन 55 से 80 ग्राम दालें कार्य, अवस्था एवं लिंग भेद के अनुसार अपने दैनिक आहार में सम्मिलित करना चाहिए।

सभी प्रकार की दालें पोषक गुणों से भरपूर होती हैं। यह धारणा कि कोई विशिष्ट प्रकार की दाल ही सर्वगुण सम्पन्न होती है सही नहीं है। सभी तरह की दालों में काफी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। चना, अरहर, उड़द, मूंग, मटर आदि में औसतन 20 से 24 प्रतिशत प्रोटीन होती है। दालों का प्रयोग करने से शरीर वर्धक पोषक तत्व-प्रोटीन की प्राप्ति होने के साथ शरीर को दैनिक कार्यकलापों के लिये आवश्यक शक्ति के लिये पर्याप्त कैलोरी भी प्राप्त होती है। शरीर की हड्डियों को बनाने और उन्हें मजबूत बनाये रखने के लिये आवश्यक खनिज लवण-कैलशियम और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में लगभग सभी दालों के प्रयोग से प्राप्त होते हैं। इनमें प्रोटीन के साथ मिलकर स्वस्थ रक्तकणों का निर्माण करने के लिये आवश्यक खनिज लवण-लोहा भी पर्याप्त मात्रा में होता है। सभी प्रकार की दालें बी समूह के विटामिनों की प्राप्ति के लिये अच्छी स्रोत होती है। बढ़ते हुए बच्चों तथा गर्भवती व धात्री स्त्रियों के दैनिक आहार में दालों का प्रयोग विशेष उपयोगी होता है। हमें जो भी दालें सहज सुलभ हों, हम अपने तथा अपने परिवार वालों की भलाई के लिये उन सभी का प्रयोग अपनी रसोई में करें। परन्तु यह तभी सम्भव होगा जब किसान अपने खेतों के फसल चक्र में दलहनी फसलों को उचित स्थान दें। प्रचलित खरीफ व रबी की दलहनी फसलों को आवश्यकतानुसार अपनी उत्पादन योजना में सम्मिलित करते हुए कृषक अपने सिंचाई के निश्चित साधनों पर

अधिक उपज देने वाली अरहर

[illegible] ही दृष्टियों से सोयाबीन का [illegible] दलहनी फसलों में विशेष उपयोगी है। सोयाबीन में आम इस्तेमाल की दालों की अपेक्षा लगभग दो गुनी प्रोटीन होती है। इसमें बीस प्रतिशत वसा होने के साथ सभी आवश्यक खनिज लवण व बी-समूह के विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं।

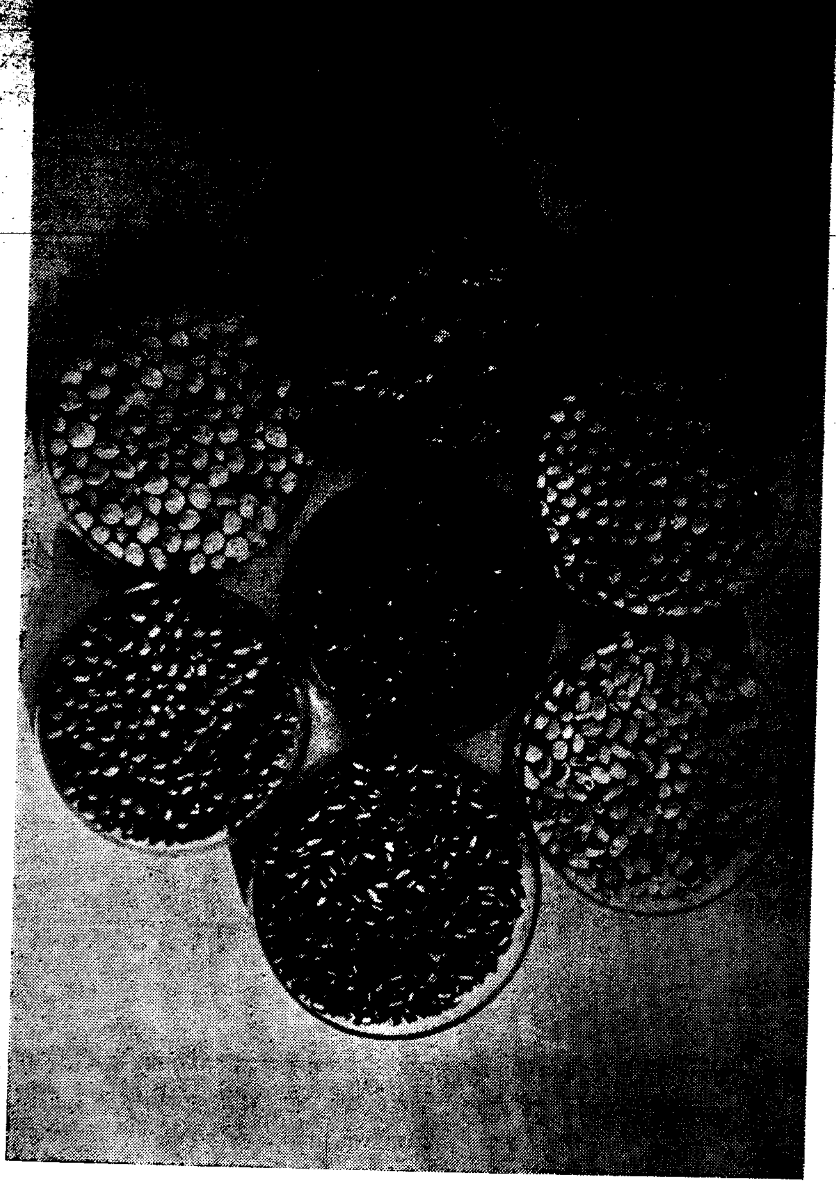

दालों की विभिन्न किस्में

दालों की प्रयोग विधि :

सामान्यतया दालों को दैनिक भोजन में सम्मिलित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए।

(1) जब दो या दो से अधिक दालों को एक साथ मिलाकर खाया जाता है, तो एक की कमी दूसरे से पूरी हो जाती है। अतः भोजन में मिली जुली दालों का प्रयोग करें।

(2) दालों को अनाजों के साथ मिलाकर प्रयोग में लायें। जैसे चना और गेहूं के मिले-जुले आटे की रोटियां खायें। ऐसे मिले-जुले आटे की रोटियां अकेले चना अथवा अकेले गेहूं के आटे से बनी रोटियों की अपेक्षा अधिक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होती हैं।

(3) दालों में हरे पत्तों वाले साग मिलाकर खायें। जैसे उरद की दाल में बथुआ या पालक का हरा साग मिलाकर "सागरहिता" बनाकर खायें। मिस्सी रोटी की उपयोगिता बढ़ने का कारण अनाज के साथ दालें मिलाकर पिसाये आटे में हरे साग मिली रोटियां बनाना ही होता है। ऐसा करने से उपयुक्त प्रोटीन सम्पूर्ति हो जाती है।

(4) जिन दालों में सम्भव हो उन्हें छिलका सहित भोजन में प्रयोग किया जाए। जैसे उरद, मूंग, मसूर आदि की दालों को छिलका सहित पकाकर खायें। छिलका उतार देने से उनके कुछ खनिज लवण तथा विटामिन व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं।

(5) दालों के दानों को अंकुरित करके तथा उनके बेसन को खमीर उठाने के बाद प्रयोग करना अधिक उपयोगी होता है। ऐसा करने से बिना कोई अतिरिक्त खर्च किये उनके पौष्टिक गुण बहुत अधिक बढ़ जाते हैं।

चना, मूंग आदि को यदि रात भर पानी में भिगो दें और उसके उपरान्त उन्हें पानी से बाहर निकालकर किसी मोटे गीले कपड़े से ढ़क कर रख दें तो 24 से 48 घण्टों के बीच उनमें अंकुर निकल आते हैं। भोजन में इन अंकुरित दालों को सम्मिलित करने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं :—

(क) दालों की पाचकता बढ़ जाती है।

(ख) पर्याप्त विटामिन-सी उत्पन्न हो जाती है, जोकि उनमें पहले होती ही नहीं है। यह विटामिन-सी केवल ताजे फलों और हरे शाक सब्जियों से ही मिलती है। अंकुरित दालों के प्रयोग से हमें यह विटामिन-सी बिना मूल्य मिल जाती है।

(ग) दालों में पाये जाने वाले बी-समूह के विटामिन अंकुरित होने की क्रिया में ड्योढ़े से दूने तक बढ़ जाते हैं, जिनकी आवश्यकता बाल, युवा, वृद्ध सभी के लिये अनिवार्य होती है।

(घ) अंकुरण के बाद दालों की मिठास बढ़ जाती है, क्योंकि इन की स्टार्च का कुछ भाग सुपाच्यशकर (लैक्टोज) में बदल जाता है।

(ङ) दालों में पाये जाने वाले खनिज तत्वों का उपयोग अंकुरण कर लेने से शरीर द्वारा अधिक होता है।

(च) इनमें पाये जाने वाले कुछ अलाभकर पदार्थ जो पाचन क्रिया अथवा दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अंकुरण की क्रिया में बहुत कुछ नष्ट हो जाते हैं।

(छ) अंकुरित की हुई दालें कम समय में तथा कम ईंधन में आसानी से पक जाती हैं।

दालों में खमीर उठाकर प्रयोग करने से वे सभी लाभ मिलते हैं, जो अंकुरण से मिलते हैं, केवल विटामिन-सी उत्पन्न नहीं होता। यदि अंकुरित दालों को पीसकर उनमें खमीर उठा लिया जाय, तो ऐसा करना और भी अधिक उपयोगी होता है।

दालों के प्रयोग में सावधानियां :

अपने देश के कुछ भागों में खेसारी की दाल जिसे लतरी या चटरी-मटरी भी कहते हैं का अधिक प्रयोग निर्धन परिवारों में किया जाता है। इसमें एक प्रकार का हानिकारक पदार्थ होता है, जिससे लोगों को लंगड़ी (पावों में लकवा मार जाना) की बीमारी हो जाती है। इससे बचाव के लिये खेसारी की दाल को कुछ घण्टों तक 60 डिगरी सेन्टीग्रेड तापक्रम वाले पानी में गरम करें (पानी इतना गरम हो कि उसमें नीचे से ऊपर को बुलबुले चलना प्रारम्भ हो, वह उबले नहीं)। फिर पानी निथार कर दाल को सुखा लें और तब उसका प्रयोग खाने में लावें। यदि इस दाल का प्रयोग हरे सागों के साथ करें तो अच्छा होगा। जब इसकी दाल खायें तो उसी से इसकी रोटी न खायें और जब इसकी रोटी खायें तो इसी की दाल न खायें। अन्य अनाजों और दालों के साथ ही इसे भोजन में ले। ऐसे खेसारी की दाल को किसी अन्य दाल में मिलावट करके बेचना कानून अपराध है। कुछ क्षेत्रों में इसके उत्पादन पर भी प्रतिबंध है। तो भी जब इस दाल का प्रयोग भोजन में करें तो उपरोक्त विधि से उपचारित कर लें।

सोयाबीन निश्चित ही एक पौष्टिक दाल है, परन्तु इसका खाने में प्रयोग भड़भूजे के भाड़ में कल्हारने के बाद ही करें अथवा इसे प्रेसर कुकर में पकायें। इसको दाल व बेसन दोनों ही रूपों में प्रयोग करें। इसको दाल तथा बेसन से अनेक प्रकार के नमकीन व मीठे व्यंजन बनाकर दैनिक आहार में सम्मिलित किये जा सकते हैं। इसके आटे को लाल भूनकर मिठाईयां आदि बनाने के काम में लावें। सोयाबीन दाल का प्रयोग इसका दूध तथा दही बनाकर भी किया जाता है।

हम भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों में ही दालों का दैनिक आहार में अधिक सेवन किया जाता है। अन्य विकसित तथा विकास शील देशों में इसके स्थान पर पशुजनित खाद्य वस्तुओं का प्रयोग होता है। अतः उन देशों में दालों के उत्पादन पर जोर नहीं दिया जाता। यदि भारत में दालों के उत्पादन की दिशा में कृषक समय रहते सचेत न हुये तो इसकी आपूर्ति कठिन हो जायेगी और यहां के अधिकांश शाकाहारी लोगों के आहार में प्रोटीन का कुपोषण बढ़ेगा। व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र सभी के हित में है कि दालों का उत्पादन बढ़े, सभी के आहार में उनका उचित मात्रा एवं अनुपात में प्रयोग हो तभी हम एक सबल राष्ट्र के स्वस्थ एवं सुखी नागरिक बन सकेंगे। ❋

प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी,
प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, बख्शी-का-तालाब
लखनऊ (उ० प्र०)

लघु उद्योगों की उल्लेखनीय प्रगति

लघु उद्योगों में 1974-78 की अवधि में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ये लघु उद्योग 5 हजार से अधिक आम उपभोग की वस्तुएं अथवा सहायक वस्तुएं तैयार करते हैं। इस दौरान लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों की संख्या 2.16 लाख से बढ़ कर 3.19 लाख हो गई है और लघु उद्योग विकास संगठन के पास पंजीकृत इकाइयों का कुल उत्पादन 4,900 करोड़ रु० से बढ़ कर 8.5000 करोड़ रु० हो गया।

लघु उद्योग क्षेत्र देश के कुल उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत भाग तैयार करता है। गैर-परंपरागत वस्तुएं, जो निर्यात की जाती हैं, उनमें भी इसका हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है।

केन्द्रीय उद्योग मंत्री, ने औद्योगिक विकास की जो नई कार्यनिति तय की है और दिसम्बर, 1977 में जो औद्योगिक नीयति प्रस्ताव पास किया गया है उसमें कुटीर और लघु उद्योगों को ग्रामीण इलाकों और छोटे नगरों में अधिक व्यापक ढंग से फैलाने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना तथा परंपरागत और लघु अन्य उद्योगों को विकसित करना और उन्हें सशक्त बनाना है और साथ ही इसका उद्देश्य नए लघु उद्योगों के सघन विकास में भी मदद देना है।

1974-78 की अवधि में लघु उद्योग क्षेत्र से रोजगार के अवसर बढ़ाने में काफी मदद मिली है। ये रोजगार कुशल और साधारण दोनों प्रकार के मजदूरों के लिए उत्पन्न हुए हैं। अनुमान है कि इस अवधि में 21.6 लाख व्यक्तियों के मुकाबले 31.9 लाख व्यक्तियों को इनसे रोजगार मिला।

1978-84 की अवधि की पंचवर्षीय योजना के दौरान 1977-78 1982-83 के बीच 28.5 लाख व्यक्तियों तथा 1983-84 तक 34.4 लाख व्यक्तियों की अतिरिक्त रोजगार मिलने का अनुमान है। इनमें लोगों द्वारा अपना खुद का काम धंधा शुरु करना भी शामिल है। जो अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न होगा, उसमें 42 प्रतिशत कुशल मजदूरों के लिए और 30 प्रतिशत साधारण मजदूरों के लिए और 20 प्रतिशत पर्यवेक्षण करने वालों के लिए (अपना कामधंधा करने वालों सहित), होगा। ❋

बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए

लाड़-प्यार एक संजीवनी

शिवचरण गुप्ता

विश्व बाल वर्ष के संदर्भ में राष्ट्रसंघ की घोषणा म बच्चे के अधिकार—नाम से कुछ सिद्धान्त स्वीकार किए गए हैं। लक्ष्य यह रखा गया है कि विश्व भर के बच्चों को सहज एवं स्वस्थ विकास के अवसर दिये जायें। देखना यह है कि इन पर अमल कहां तक हो सकेगा, क्योंकि दुनियां दरअसल दो भागों में बंटी हुई है, एक है सम्पन्न वर्ग और दूसरा निर्धन वर्ग। सम्पन्न राष्ट्रों के बच्चों को जहां विकास की अपार सुविधायें हैं वहीं विकासशील और अविकसित देशों के काफी संख्या में बच्चे ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें अच्छी चिकित्सा और शिक्षा की तो बात ही छोड़िये उन बेचारों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, तन ढांपने को कपड़ा, सिर छुपाने को मकान और पेट की ज्वाला शान्त करने को भोजन नहीं मिल पाता, मजबूरन उन्हें छोटी उम्र में ही जीवन संघर्ष में कूदना होता है। यह तो तथ्य है कि देश की प्रगति के लिए बच्चों के विकास की तरफ ध्यान देना निहायत जरूरी है। बच्चा एक नन्हें कोमल पौधे की तरह होता है जिसे चाहे जिस रूप में मोड़ दिया जाना सुगम रहता है। असलियत यह है कि अधिकतर लोग बच्चों के कर्तव्यों के उद्देश्य झाड़ना ज्यादा जरूरी समझते हैं किन्तु उनके अधिकारों से उदासीन रहते हैं। बच्चे के सहज, स्वस्थ विकास के लिए यह तथ्य विशेष महत्व रखता है। बच्चे को न केवल पोषक आहार और सुन्दर वातावरण चाहिए, अपितु भरपूर लाड़-प्यार, ममता और दुलार उसे दिया जाए यह जरूरी है। अनजान घोड़ा, बच्चा समझकर उसकी उपेक्षा, अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। बच्चे की हर जिज्ञासा व उसकी स्वाभाविक गतिविधि के प्रति बड़ों को निगरानी रखते हुए उसे भावी जीवन के अनुरूप सक्षम ढंग से विकसित करना चाहिए।

बचपन जीवन का स्वर्णिम काल

मानव जीवन का सबसे सुखद, चिन्तामुक्त खुशियों से भरा समय बचपन का होता है। बालक न ऊंच-नीच के भेद को मानता है, न जात-पांत, न कोई उसका शत्रु है, न विरोधी। निश्छल निर्झरिणी-सी कल्लोलमयी किलकारियां उसे अलौकिक आनन्द प्रदान करती हैं। जैसे-जैसे वह बड़ा होकर इस वास्तविक संसार से अभिज्ञ होता है, उस बेचारे को अनेक जटिलतायें व समस्यायें घेरने लगती हैं। यही समय है जबकि बच्चे के माता-पिता, संरक्षक सम्पर्क में आने वाले बड़ों को, उसके मनोविज्ञान को समझकर उसे सहज विकास का अवसर दिया जाए। बच्चे की हर जिज्ञासा का धैर्य के साथ समुचित उत्तर देकर समाधान किया जाए। उसके प्रश्नों को ऊल जुलूल समझकर टाला न जाये। निश्चय ही ऐसा करने से बच्चों के विकास में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

बच्चे को चाहिए भरपूर प्यार-दुलार

बच्चे के सहज, स्वस्थ, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए मां-बाप व भाई बहिनों का लाड़-प्यार तथा ममता उसे संजीवनी के समान तृप्त करता है। किन्तु आज के वैज्ञानिक युग में हर वर्ग के बच्चे के सामने यह समस्या है। अति-सम्पन्न परिवारों में तो महिलायें बच्चों को जन्म देने के बाद उनसे अपने आपको मुक्त कर लेती हैं। उनका पालन-पोषण और देखभाल आयाओं के द्वारा किया जाता है। मां की ममता के अभाव में बच्चा अनेक कुण्ठाओं से ग्रस्त हो जाता है। ऐसे परिवारों में पिता भी बहुत लम्बे समय तक काम में जूझते हैं और फिर चले जाते हैं रंग-रेलियां मनाने क्लबों में। आया की छाया में पला बच्चा भला स्वस्थ विकास कैसे पा सकता है? मध्यम वर्ग में भी स्थिति बड़ी विचित्र बनती जा जा रही है। बड़ों की देखा-देखी झूठे दिखावे और प्रदर्शन के लिए आमदनी बढ़ाने की होड़ में महिलायें नौकरी तो करती ही हैं, इससे आगे भी वे अपना समय सिनेमा, सैर-सपाटे, सभा-सोसायटियों में गुजारना ज्यादा पसन्द करती हैं। पिता भी बच्चों से उदासीन से रहते हैं। दिन भर दफ्तर या दूसरी जगह काम से थके-हारे वे भी अक्सर घर न जाकर इधर-उधर भटकते हैं। और बच्चा अपना पूरा दिन शिशु-गृह में बिताता है स्थिति मध्यम वर्ग की एक विवशता-सी बनती जा रही है जिसके कारण बच्चों का मां-बाप से लगाव हट जाता है और वे स्नेहिल प्यार-दुलार के अभाव में चिड़-चिड़े, ईर्ष्यालु, क्रोधी, बन जाते हैं। अति-सम्पन्न राष्ट्रों में भी, विशेषकर पश्चिमी देशों में जहां खुलकर तलाक की लीला खेली जाती है, और भी विचित्र स्थिति है। अदालतें कहीं बच्चों को पिता के पास रहने की इजाजत दे देती हैं तो वे मां से वंचित हो जाते हैं और जहां मां के साथ नये पिता के पास पहुंचते हैं उससे उनका सामंजस्य सही रूप में न बैठना स्वाभाविक है। तलाकों

की कई-कई सीढ़ियां पार करने वाली माताओं के बच्चों की स्थिति तो बहुत ही दयनीय बनकर रह जाती हैं। भोग-प्रधान इस युग में जहां समाज के पुराने मूल्य समाप्त हो गये हैं, नये मूल्यों पर पुर्नचिन्तन आवश्यक है ताकि नन्हें-मुन्नों का मां-बाप के साये से अलग न होना पड़े।

बच्चे को मनुकूल अवसर दिए जाएं

बाल जीवन ही ऐसा अलबेला समय है जिसमें हर बच्चा स्वाभाविक रूप से भाग-दौड़, उछल कूद, शोर-शराबा करता है। कभी रोता है तो कभी हंसता है। खेल की ओर बढ़ाव भी उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बड़े यदि यह समझें कि बच्चा उनके समान-धीर-गम्भीर होकर रहे तो यह सम्भव नहीं और न ही स्वाभाविक है। बच्चे की ऐसी हरकतों पर डांट-डपट करना अच्छा नहीं। चाहिए तो यह कि उसके इन चुहलों का आनन्द लिया जाये। हां, यदि कहीं बच्चा अधिक ऊल-जुलूल हरकतें करे जिससे उसके साथियों या अन्य लोगों को कोई हानि या बाधा पहुंचती हो तो उसे समझाकर प्यार से रोक देना चाहिए।

मनोभावों को धैर्य से समझिए

बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है उसमें क्रोध और ईर्ष्या जैसे संवेग आने स्वाभाविक हैं। अब कोई यह सोचे कि बच्चा क्रोध करे ही ना या ईर्ष्या से बचा रहे तो यह कैसे संभव है। बच्चे के क्रोध जैसे संवेग का सहज निष्कासन होने दीजिए चाहे वह बड़ों के प्रति हो या बराबर वालों के प्रति। बच्चे के क्रोध को यह समझना कि उसने बड़ों का अपमान किया है, मूर्खता होगी। अपने साथियों के साथ ईर्ष्या की भावना रखना भी उसे प्रतिस्पर्धा की डगर पर बढ़ाता है। आवश्यकता इस बात की है कि जो भावना बच्चे में पैदा होती है और जिससे उसके व्यक्तित्व पर खराब असर पड़ता है उसके बारे में बच्चे को शान्ति से समझाया जाये ताकि उसके दुष्प्रभाव को वह समझ सके और अच्छी भावनाओं के विकास होने में उसे मदद मिल सके।

गुण विकास के लिए सराहना आवश्यक

डांटने-डपटने, मुंह लटकाने, चिड़चिड़ाने और खीझने से बच्चे में आत्म-विश्वास का ह्रास होता है। अतः यह जरूरी है कि बच्चा जिन जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करे उनके बेझिझक धीरज से उत्तर दिये जायें। साथ ही, वह जिन छोटे मोटे कामों की तरफ अथवा प्रारम्भिक पढ़ाई में कुछ लीन हो तो उसके कामों की सराहना करके उसे प्रोत्साहित किया जाये। यही नहीं, उसके खेलने की क्षमता दौड़ने की फुर्ती, बातचीत करने का ढंग आदि में खूबियों की भरपूर सराहना की जाये। इससे बच्चे का आत्मबल बढ़ेगा, उसमें उल्लास जगेगा और वह जीवन संघर्ष में सक्षमता से खड़ा होने के अनुरूप समर्थ हो सकेगा।

सजग राष्ट्र के नागरिकों का यह मुख्य दायित्व है कि राष्ट्र के भावी निर्माताओं का पूर्ण रूप से स्वस्थ विकास किया जाये। व्यक्ति, समाज व राष्ट्र किसी तरफ से भी इस महत्वपूर्ण कार्य में उपेक्षा दिखाना राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होता है। विश्व बाल वर्ष में अभावों से जूझते, खुले आसमान की छत के नीचे अथवा छप्परों और झोपड़ों में पनपते बच्चों तक इसका प्रभाव पहुंचा सके तभी इसकी सार्थकता रहेगी। आवश्यकता है हर कन्हैया की चपल बाल-लीला को सूर की दृष्टि से देखने की। ❋

पाक्षिक समाचार के साभार से

शिवचरण गुप्ता
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
नई दिल्ली, नगर पालिका

माटी और किसान

माटी में पलते हैं माटी में ढलते हैं।
माटी में जीते है माटी के लिए जीते हैं।।
माटी से लड़ते हैं माटी से झगड़ते हैं।
माटी में चलते हैं माटी में मचलते हैं।।
माटी ओढ़ते हैं माटी पहनते हैं।।
माटी अंग लगाते हैं माटी के गीत गाते हैं
माटी ही तन-मन है माटी सारा जीवन हैं।

केदार नाथ 'कोमल'

काम के बदले अनाज योजना की भूमिका

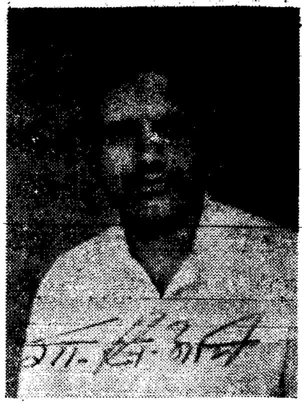

श्री गोविन्द आर्य

[मध्य प्रदेश में इन्दौर ज़िले की महू तहसील में 1977-78 में सोलह, शाला भवन, पांच पंचायत भवन, एक बाल बाड़ी भवन, छः सार्वजनिक शौचालय, दो विकास नाली, उनंचास योजक सड़कों का निर्माण किया गया, जिनमें 15718 मजदूरों को 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध हुआ। काम के बदले अनाज योजना के अधीन ये काम चालू किये गए और सभी मजदूरों को काम के बदले अनाज दिया गया। इस योजना का सबसे अधिक लाभ वनवासी लोगों को मिल रहा है।

यह वर्ग जहां एक ओर श्रमशील है वहां अपने कार्य के प्रति निष्ठावान भी है। धन संग्रह इसकी प्रवृत्ति नहीं है। इसीलिए अनाज की प्राप्ति में उसे बहुत अधिक सन्तोष मिलता है। मजदूरों के रूप में उन्हें तीन किलो गेहूं और 70 पैसे नगद मिलते हैं। इस लेख के लेखक श्री गोविन्द आर्य महू जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं और उन्होंने इस लेख में अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य के संदर्भ में "काम के बदले अनाज" योजना की भूमिका पर गहरा प्रकाश डाला है। श्री आर्य एक प्रगतिशील सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जबसे उन्होंने पदभार सम्भाला है, महूजन पद पंचायत के क्षेत्र में प्रगति का चक्र जोरों से चल रहा है।]

मालवा की धरती और विशेषकर उसके गांव अपनी आर्थिक सम्पन्नता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। "पग-पग रोटी डग-डग नीर", की कहावत इसी बात को इंगित करती है। किन्तु आबादी के विस्तार और आसपास के प्रांतों से आए हुए लोगों ने इस मालवा माटी की गहन गम्भीरता को भी चुनौती दे डाली है।

रोटी मानव जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक पदार्थ है। आजादी के पिछले 30 वर्षों के बाद भी हमें इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाए हैं। शासन के द्वारा बनाई गई अनेक योजनायें या तो तत्कालीन सत्तापक्ष व सरकारी अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण असफल रहीं या पूंजीवादी तंत्र ने उसे असफल कर दिया। हमने अभी तक किसान को उन्नत करने के प्रयास तो किए किन्तु कृषि पर पलने वाले खेतिहर मजदूर की ओर तनिक भी नहीं देखा। जबतक हमारे देश में औद्योगीकरण का विस्तार नहीं हुआ था तब तक गांव अपने आप में एक पूर्ण इकाई थी। लोहार, कुम्हार, चमार, पिंजारा, सुतार, भडभूंजा ये सब कृषि पर ही अपना भरण-पोषण करते थे। इन्हें काम के बदले पैसा नहीं दिया जाता था, वरन् अनाज ही दिया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काम के बदले अनाज की यह व्यवस्था कोई नवीन योजना न होकर हमारी प्राचीन व्यवस्था का ही एक अंग है। साल भर कुम्हार से जितने बर्तन की आवश्यकता होती थी, वे लिए जाते थे और जब फसल पककर खलिहान में आ जाती थी, तब उसे उतना अनाज दे दिया जाता था जिसमें उसको पूर्ण संतोष होता था। यही बात अन्य कर्मियों के साथ भी थी।

"काम के बदले अनाज", इस प्राचीन परम्परा का एक सैद्धांतिक पक्ष भी है। जब गांव के प्रत्येक कर्मी को खेत से अनाज प्राप्त होता था तब वह खेत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सम्पत्ति न होकर सम्पूर्ण कर्मियों का आशा स्थल था। उसका सुपरिणाम ही होता था, खेतों से फसल चोरी जैसी समस्या कभी पैदा ही नहीं होती थी। शासन ने अप्रैल, 77 से काम के बदले अनाज की जिस नवीन व्यवस्था का शुभारम्भ किया है वह भी अपने आप में कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपातकाल के बाद सत्ता में जो परिवर्तन हुआ और देश के नए नेतृत्व में जब ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक समस्या को प्रत्यक्ष रूप से देखा तब उसे स्पष्ट हुआ कि आज तक भूखे-नंगे शोषित मानव के लिए जितनी योजनाओं के ढोल पीटे गये थे ये सब अपने आप में एक तमाशा सिद्ध हुए। गांव का धनी वर्ग पिछले इन तीस वर्षों में अधिक धनवान हो गया है और कृषि पर पलने वाला भूखा-नंगा किसान पूर्णतया कंगाल हो गया है, ऐसी स्थिति में इस उपेक्षित मानव को उठाना ही नए नेतृत्व का प्रमुख लक्ष्य बना।

पिछले कुछ वर्षों से भारत अनाज की दृष्टि से आत्म निर्भर बनता जा रहा है। सुरक्षित भंडारों में इतना अनाज भरा जा चुका है कि अब उससे अधिक भरने की

क्षमता भी हमारे पास नहीं है । परिणामस्वरूप अनाज बाहर भेजा जाने लगा है । यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि देश का नागरिक दो जून रोटी भी न जुटा पाये और भारत के बफर स्टाक का अनाज विदेशों में जाने लगे । अतः नए नेतृत्व ने भूतपूर्व शासन की इस खोखली योजना को एक ही झटके में तोड़ दिया और "काम के बदले अनाज" योजना का सूत्रपात हुआ ।

आज इस योजना के द्वारा अनेक विकास कार्य चल रहे हैं, ग्रामीण अंचल के अधिकांश व्यक्तियों को काम मिल रहा है, शासकीय खाद्यान्नों की दुकानों पर लगने वाली कतारें अब पूर्णतया लुप्त हो गई हैं । उनमें होने वाला भ्रष्टाचार स्वतः ही नष्ट हो गया है । सामान्यतः यह देखा जाता था कि इन शासकीय दुकानों पर उन भोले-भाले गरीब इन्सानों को या तो समय पर अनाज नहीं मिल पाता था, या वे स्वयं समय पर पैसा नहीं जुटा पाते थे और इस प्रकार अनाज से वंचित रह जाता था । आज इस समस्या का भी पूर्णतया निदान हो चुका है ।

"काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत जहां एक ओर बेरोजगार को रोजगार मिला है, भूखे को रोटी मिली है, और निष्क्रिय क्रियाशील बना है और जहां देश के कोटि-कोटि हाथ राष्ट्र के नवनिर्माण में भागीदार बने हैं वहीं दूसरी ओर विकास योजनाओं का एक तानाबाना सा रचा जा रहा है । उक्त योजना के अन्तर्गत पहुंच मार्ग, ग्राम के आंतरिक मार्ग, शाला-भवन, पंचायत-भवन, मनोरंजन केन्द्र, औषधालय-भवन, बालवाडी-भवन, सार्वजनिक-शौचालय, नालियां, ग्रामीण सचिवालय, छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए बांध आदि जीवनोपयोगी अत्यावश्यक निर्माण कार्य सम्पन्न किए जा रहे हैं ।

जहां तक इन्दौर जिले की महू तहसील का सवाल है, महू तहसील में वर्ष 77-78 में 16 शाला-भवन, 5 पंचायत भवन, एक बालवाड़ी-भवन, 6 सार्वजनिक-शौचालय, 2 नाली, 49 आंतरिक एवं योजक मार्गों पर 119.88 किलो मीटर का निर्माण कार्य किया गया है, जिनमें 15,718 मजदूरों को 100 दिनों तक कार्य उपलब्ध हो सका है । जनपद पंचायतों के चुनाव के उपरान्त ग्रामीण योजनाओं का जैसे ही मुझ पर दायित्व आया, मुझे अपने क्षेत्र की गंभीर समस्याओं का अध्ययन करने का प्रत्यक्ष रूप से अवसर मिला । इस क्षेत्र में जहां एक ओर सम्पन्न किसान हैं, प्रशिक्षित हैं, वहीं दूसरी ओर मानपुर तथा सिमरोल टप्पे में वनवासी बन्धुओं की भी एक बहुत बड़ी संख्या निवास करती है । इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विडम्बना यह रही कि यहां के 20,000 वनवासी बन्धु शासन के तथाकथित आदिवासी शब्द की परिसीमा में आने के बाद भी तत्संबंधी सुविधाओं से वंचित रहे हैं । मैंने सबसे पहले इन लोगों की दयनीय दशा को देखा और अपने प्रयत्नों का मुख्य उद्देश्य इन लोगों को तत्संबंधी सुविधाओं से लाभान्वित करवाया । परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के निर्णयानुसार बहुत शीघ्र ही इस क्षेत्र का वनवासी अपने मूलभूत अधिकारों को पा सकेगा । "काम के बदले अनाज" की योजना का लाभ यद्यपि सभी शोषित, पीड़ित लोगों को मिल रहा है, किन्तु सबसे अधिक लाभ हमारे वनवासी बन्धुओं को ही मिल रहा है । यह वर्ग जहां एक ओर श्रमशील है, वहीं अपने कार्य के प्रति निष्ठावान भी है । धनसंग्रह इसकी प्रवृत्ति नहीं, और इसलिए अनाज की प्राप्ति में उसे सबसे अधिक संतोष मिलता है । दिन भर श्रम रूपी यज्ञ करने के उपरान्त यज्ञ के प्रसाद के रूप में उसे जब 3 किलो गेहूं और 0.70 पैसे नगद मिलते हैं तो उसे उतना ही आनन्द होता है, जितना कि यज्ञ के उपरान्त प्रसाद पाकर मनुष्य को आनन्द होता है ।

वनोपज के राष्ट्रीयकरण ने सबसे अधिक प्रभावित भी इसी वर्ग को किया है, परिणामतः यह वर्ग उनके अनेक अवैध धन्धों में लिप्त होता चला गया । किन्तु "काम के बदले अनाज" इस योजना ने जहां उसे एक ओर रोटी दी वहीं दूसरी ओर नैतिक ढंग से जीने का आधार भी दिया—अब उसे तहसील, थाना, कोर्ट, जेल के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं । उसी का सुपरिणाम है कि आज महू तहसील में फसल चोरी जैसी समस्या में कमी आई है । अवैध शराब निर्माण पर भी नियंत्रण आ रहा है । जंगलों के हरे-भरे कटने वाले वृक्ष रोटी के अभाव में अब समय के पूर्व नहीं कटेंगे ।

इस योजना के लाभ के कुछ उल्लेखनीय बिन्दु निम्नानुसार हैं :—

1. ग्रामीण साहूकारों के शोषण से मुक्ति ।
2. खेतिहर मजदूर के वेतन में आनुपातिक वृद्धि ।
3. श्रमशील मजदूर की ग्रामीण विकास योजनाओं में भागीदारी ।
4. पुरुष और महिलाओं के पारिश्रमिक में समानता ।
5. पंचों, सरपंचों एवं अधिकारी वर्ग के प्रत्यक्ष योगदान से ग्रामीण क्षेत्र का कायाकल्प ।
6. ठेकेदारी व्यवस्था के परिसीमन से पूंजी का विकेन्द्रीकरण ।
7. नये खाद्य भंडार निर्माण की समस्या का निवारण ।
8. श्रमिकों में आत्म निर्भरता का भाव ।
9. अनिवार्य शिक्षा योजना की ओर श्रमिकों का आकर्षण ।

अन्त में, मैं यही कह सकता हूं कि शासन की यह योजना जहां श्रमिकों के लिए संजीवनी बनकर आयी है, वहीं इसने शहरी नागरिकों को भी राहत दी है । पिछले कुछ वर्षों से बेरोजगार ग्रामीणों के शहरों की ओर बढ़ते हुए काफिले में रुकावट आई है । आज इस योजना के परिणामस्वरूप अब गांव का बेरोजगार श्रमिक अपने गांव की ही माटी में सुख की नींद लेने लगा है । वर्षा के पूर्व की उनकी अनिश्चितता, अब समाप्त हो गई है । पूरे वर्षाकाल में अपने इस संग्रही अनाज का वह सुखपूर्वक उपयोग कर सकेगा और इस प्रकार सूदखोर साहूकार के दर्वाजे पर अब वह रोटी के लिए चक्कर नहीं लगाएगा । मेरा विश्वास है कि शासन अगले सत्र में भी इस योजना को और अधिक विस्तार पूर्वक क्रियान्वित करेगा । ग्रामीण अंचल की विकास योजनाओं के लिए इससे बड़ा कर्मयज्ञ और क्या हो सकता है । उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि "काम के बदले अनाज" की यह योजना राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल हो सकेगी । ✱

ह० अपठनीय
अध्यक्ष,
जनपद पंचायत महू जिला इन्दौर
(म० प्र०)

विकास खण्ड इन्दौर के बढ़ते चरण

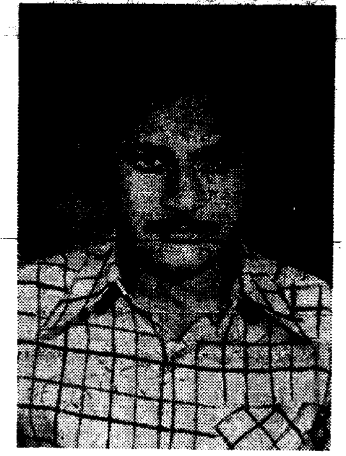

रामेश्वर पटेल

[विकास खंड इन्दौर में 1978-79 में 19 शाला भवन, पांच सामुदायिक केन्द्र तथा दो पंचायत भवनों का निर्माण किया गया और 171.5 किलोमीटर लंबी चालीस सड़कें बनाई जा रही हैं। ये सब कार्य "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत चालू हैं। इस लेख के लेखक श्री रामश्वर पटेल, जनपद अध्यक्ष, इन्दौर ने उक्त योजना के अन्तर्गत जो विकास कार्य हुआ है उसकी समीक्षा की है और बताया है कि यह योजना जहां श्रमिक वर्ग को वरदान सिद्ध हुई है वहां विकास के क्षेत्र में भी इसने नय आयाम जोड़े हैं। श्री रामेश्वर पटेल एक प्रगतिशील विचार धारा के सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं। उनके क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसका श्रय उनको ही दिया जा सकता है।]

काम के बदले अनाज योजना का आरम्भ अप्रैल 1977 से हुआ। प्रारंभ में योजना का दायरा काफी सीमित कार्यों तक रखा गया था लेकिन वर्ष 78-79 से इस योजना को व्यापक आधार दिया जाकर उसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में निर्माण कार्यों को सम्मिलित किया गया था।

योजना के मूल उद्देश्य :—

1. बेरोजगार एवं अर्द्ध बे-रोजगार ग्रामीण जनों के लिए अतिरिक्त लाभदायक काम की उत्पति करना।
2. स्थायी सामुदायिक सम्पत्ति का निर्माण।
3. मानव शक्ति के विकास के लिए बचे अनाज का उपयोग।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकास खण्डों में प्रति वर्ष स्थानीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्यों को भी काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत अनुदान का आधा अनाज देने की योजना वर्ष 78-79 से विकास खण्डों में क्रियान्वित की गई।

विकास खंड इन्दौर, जो प्रगति के क्षेत्र में हमेशा से अग्रणी रहा है। ग्रामीण जन भी हमेशा जागरूक रहे हैं जो भी नवीन कार्य योजना इस खण्ड के लिए स्वीकृत कर उसे क्रियान्वित करने हेतु ग्रामीणों से जो भी सहयोग चाहा गया, वह सहज में ही प्राप्त होता रहा। कृषि की कोई योजना हो। गोबर गैस सयन्त्रें की स्थापना, विश्व बैंक योजनान्तर्गत सिंचाई कूपों का निर्माण, किसान साक्षरता, काम के बदले अनाज योजना आदि। इन सभी योजनाओं को पूरा करने में ग्रामीणों का सहयोग सराहनीय रहा है।

वर्ष 1978-79 में विकास खण्ड इन्दौर में किए गए कार्यों की एक झलक नीचे प्रस्तुत की जा रही है जिससे प्रगति एवं विकास की कहानी आंकड़ों की जुबानी अपने आप सिद्ध होती है।

क्र॰ सं॰	योजना का नाम	स्वीकृत संख्या	पूर्ण काम	दिया गया अनुदान नकद	दिया गया अनुदान गेहूं मी॰ टन
	स्थानीय विकास कार्य				
1.	शाला भवन	29	19	1,72,139	150
2.	सामुदायिक केन्द्र	6	5	35,012	31.3
3.	पंचायत भवन सह ग्रामीण सचिवालय	10	2	49,500	34.2
4.	रपट पुलिया	3	–	19,500	19.5
5.	शौचालय स्नान-गृह	1	—		140.1
6.	शाला भवन शिक्षामद से	2	–		15.9
7.	पुराने कार्यो के लिए	—	—	7,194	—
				2,83,345	526

इसके अतिरिक्त, लोकनिर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है उसमें 131.5 कि० मी० लम्बी 46 सडकें ली गई हैं जिन पर 409 मी० टन गेहूं का वितरण किया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 78-79 में विकास खण्ड इन्दौर में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 47 कार्यों के लिए 265 मी० टन गेहूं दिया गया। उससे पूर्व 1956 से जब से विकास का चरण प्रारंभ हुआ, इतनी बड़ी संख्या में किसी भी एक वर्ष में इतने निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुए जितने वर्ष 1978-79 में कार्यों की गुणवत्ता की दृष्टि से भी इतने श्रेष्ठ एवं सुन्दर कार्य इससे पूर्व नहीं हुए।

प्रारंभ में काम के बदले अनाज योजना को अपनाने में थोड़ी झिझक रही लेकिन बाद में उसके बारे में जो संशय थे वे दूर होने पर यह योजना ग्रामों में काफी लोक प्रिय व सफल हुई।

प्रदेश में हुए नवीन पंचायत चुनावों के बाद नवीन पंचायतों को कार्य करने का उत्साह भी पर्याप्त मात्रा में था, अतः शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाते हुए पंचायतों ने द्विगुणित गति से कार्य को पूर्ण करने का उत्साह दिखाया।

इस योजना में लिए गए कार्यों की सफलता को देखते हुए जो ग्राम इसका लाभ उठाने से वंचित रह गए थे। वे भी अब आगे जाकर निर्माण कार्य करवाने के लिए आतुर हैं।

इस प्रकार काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में विकास खंड इन्दौर में उल्लेखनीय व प्रशंसनीय कार्य हुए हैं। इन कार्यों को जिसने भी देखा है देखता ही रह गया है व सराहना दिए बिना नहीं रहा है। किए गए कार्य अपनी कहानी आप कह रहे हैं जो आने वाले कई वर्षों तक प्रगति का स्मारक बन कर लोगों को कार्य करने की प्रेरणा देते रहेंगे।

इन्दौर जिले का सौभाग्य कहिए कि श्री नरेश नारद जैसे कलेक्टर का मार्गदर्शन एवं सुयोग्य प्रशासनिक नेतृत्व जिले को मिला। उन्होंने निर्माण कार्यों के लिए धनाभाव कभी नहीं होने दिया। उन्हीं के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व से विकास कार्यों को गति मिली। इन्दौर जैसे बड़े शहर की व्यस्त प्रशासनिक व्यवस्था का भार वहन करते हुए भी उन्होंने ग्रामों के विकास की ओर जितना ध्यान दिया उतना बहुत कम लोग दे पाते हैं। इसके साथ ही नीचे के अधिकारियों, ग्रामीण जन नेताओं के बीच भी समन्वय व ताल मेल की भावना ईमानदारी एवं लगन के कारण निर्माण कार्यों को बड़ी संख्या में लेकर उन्हें समयावधि में पूर्ण करवाना संभव हो सका।

यदि ऐसा ही उत्साह बना रहा, अधिकारियों एवं जन नेताओं का सहयोग प्राप्त होता रहा तो विकास खण्ड इन्दौर विकास की गति को और तेज करने में सफल होगा एवं आदर्श स्थापित कर सकेगा। ●

रमेश्वर पटेल
अध्यक्ष
जनपद पंचायत इन्दौर (म० प्र०)

समस्या बेरोजगारी से निपटने की समस्या :

[पृष्ठ 10 का शेषांश]

भेजते रहें कि उनको किस योग्यता एवं अनुभव के कितने व्यक्ति चाहियें तो उससे उसी प्रकार के अधिक या कम शिक्षा संस्थान खोलने विषयक नीति निर्धारण में सहायता मिल सकती है। दूसरे इससे बेरोजगार युवकों को अपनी योग्यता के आधार पर निष्पक्ष रूप से नौकरी मिलने में सहायता मिल सकती है।

कुल मिलाकर सरकार निर्धनता एवं बेरोजगारी को 10 वर्षों की अवधि में दूर करने के लिए प्रयत्न कर रही है किन्तु देखना यही है कि इन योजनाओं को कर्त्तव्य-परायणता पूर्वक पूर्ण करने में सरकार तथा अधिकारी वर्ग दोनों ही कितने परिश्रम एवं निष्ठा से कार्य करते हैं। इतना व्यक्त कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि रोजगार के साधनों में वृद्धि के साथ ही साथ उससे भी अधिक आवश्यक है तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए अत्यन्त व्यावहारिक एवं कारगर उपाय। यदि जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो सभी प्रकार के आर्थिक प्रयत्न करने के पश्चात् सम्भवतया बेरोजगारी की समस्या उग्र रूप ही धारण करती रहेगी। साधनों के सीमित होने के कारण, योजनाओं को क्रियान्वित करते समय उनमें व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होने के कारण तथा निष्ठाहीनता के कारण यह सम्भव नहीं कि रोजगार दिलाने का लक्ष्य पूर्ण रूपेण प्राप्त हो ही जाए। जनसंख्या वृद्धि पर सक्षम नियंत्रण द्वारा काबू पाकर बेरोजगारों की संख्या को सीमा में रखना बहुत आवश्यक है। रोग बढ़ने पर उसकी चिकित्सा करने की अपेक्षा स्वयं रोग की रोकथाम करना अधिक उचित नीति है। ●

सतीश कुमार जैन,
सहायक आयुक्त (वन)
कृषि एवं सिंचाई मन्त्रालय,
कमरा नं० 530, कृषि भवन,
नई दिल्ली—110001

[illegible]

[illegible] लकड़ी के सन्दूकों में, [illegible] में या दीवार की [illegible] में किया जाता था। मधु से भरे छत्तों से शहद प्राप्त करने के लिए छत्तों को काट कर या तो निचोड़ लिया जाता है, या आग पर रख कर उबाल लिया जाता था। फिर शहद को कपड़े से छान लेते थे। । इस विधि से मैला और अशुद्ध शहद ही मिल सकता है, जो कम कीमत में बिकता है। इस प्रकार प्राचीन ढंग से मधुमक्खियों को पालने में कई दोष हैं।

वैज्ञानिक ढंग से : आज संसार के कई देशों में मधुमक्खियों को आधुनिक ढंग से लकड़ी के बने हुए संदूकों में, जिसे आधुनिक मधुमक्षिकागृह कहते हैं, पाला जाता है। इस प्रकार से मधुमक्खियों को पालने से अंडे एवं बच्चे वाले छत्तों को हानि नहीं पहुंचती शहद अलग छत्तों में भरा जाता है। और इस शहद को बिना छत्तों को काटे मशीन द्वारा निकाल लिया जाता है। इन खाली छत्तों को वापस मधुमक्षिकागृह में रख दिया जाता है, ताकि मधुमक्खियां इन पर बैठ कर फिर से मधु इकट्ठा करना शुरू कर दें।

वैज्ञानिक ढंक से मधुमक्खी पालन का आरम्भ भारत में कई वर्ष पहले हुआ। आज [illegible]णी भारत में यह धन्धा काफी फैल चुका [illegible] सैकड़ों मधुमक्षिकागृह वहां पर मधु [illegible]न के लिए चलाए गए हैं।

[illegible]मक्षिकागृह : जैसा कि ऊपर लिखा जा [illegible] है, यह एक लकड़ी का सन्दूक होता है। [illegible]सके दो खंड होते हैं। नीचे के खंड को शिशु [illegible]ंड कहते हैं। इसमें रखे छत्तों में अंडे-बच्चे [illegible]था स्वयं मक्खियों के लिये शुद्ध शहद एवं [illegible]राग संचित रहता है। शिशु कक्ष के [illegible]पर मधु कक्ष होता है, जिसमें मधुमक्खियां [illegible]वल शहद ही जमा करती हैं। मधुकक्ष [illegible] शहद के भरे छत्तों को निकाल कर यंत्र [illegible]रा शहद निकाल लिया जाता है।

मधुमक्षिकागृह के भीतर रहने वाली [illegible]धुमक्खियां तीन प्रकार की होती हैं : [illegible]1) रानी, (2) श्रमिक और (3) नर [illegible]क्खी। रानी ही एक मात्र सारे गृह में [illegible]डे देने वाली होती है। इसका काम दिन [illegible]र रात अंडे देना ही होता है। श्रमिक और

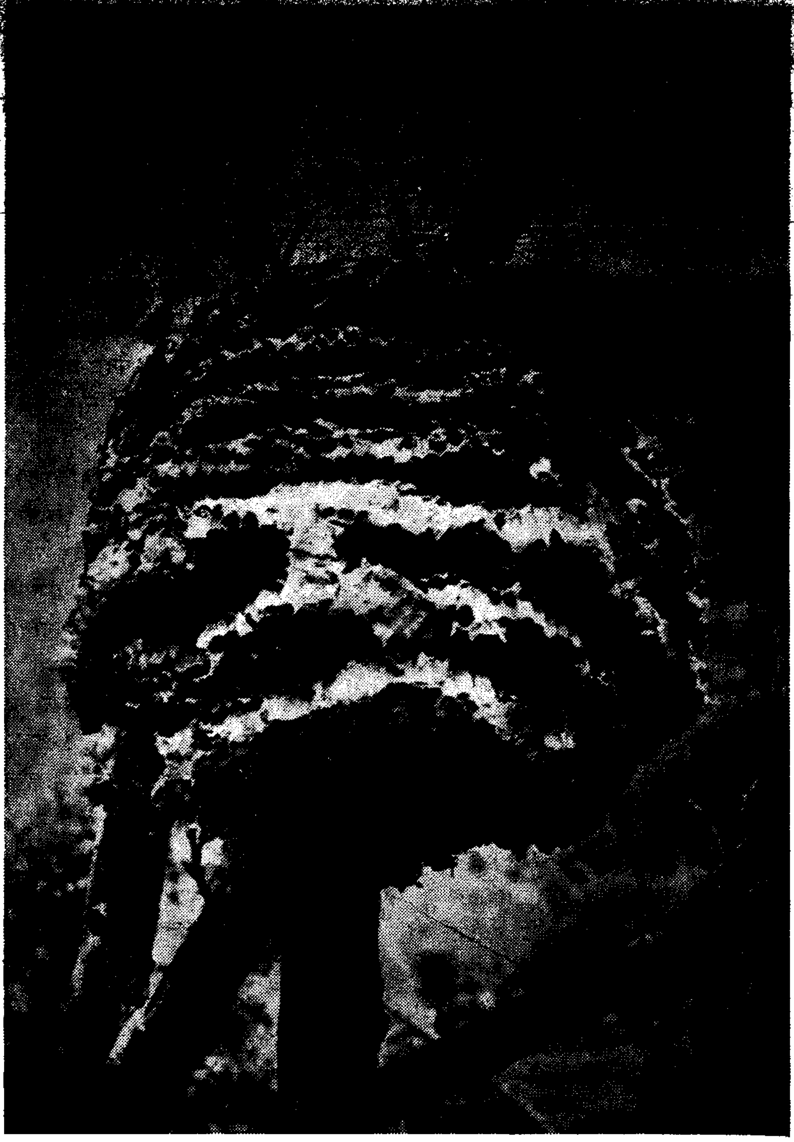

रानी का जन्म एक ही प्रकार के अंडे से होता है। जब भी श्रमिक मधुमक्खियां किसी लार्वे को रानी बनाना चाहती हैं, तो वे उसे एक विशेष प्रकार का भोजन खिलाना शुरू

मधुमक्खी पालन : एक लाभदायक धंधा

शकुन्तला धवन

कर देती हैं। इस भोजन को अंग्रेजी में "रायल जेली" कहते हैं यह लार्वा जिसे अपने पूरे जीवनकाल तक यह भोजन खिलाया जाता है, रानी बन जाता है। अन्य लार्वे जिन्हें यह भोजन पूरा नहीं मिल पाता, है श्रमिक बन जाते है,। श्रमिक बनने वाले

लार्वों को केवल दो तीन दिन तक ही रायल जैली दिया जाता है, फिर इनका पोषण एक साधारण भोजन द्वारा ही किया जाता है। रानी जो अंडे देती है वे दो प्रकार के होते हैं :

(क) श्रमिक और (ख) नर। वे अंडे जिनसे नर निकलते हैं, रानी गर्भाधान कराए बिना ही दे सकती है। लेकिन श्रमिक उत्पादन करने वाले अंडे वह केवल गर्भाधान होने के बाद ही दे सकती है। रानी को डंक तो होता है, लेकिन इसका उपयोग वह तभी

करती है जब किसी दूसरी रानी से उसकी लड़ाई होती है।

श्रमिक मधुमक्खियां मधु मक्षिकागृह में सबसे अधिक संख्या में होती हैं। इनके पेट पर कई समानान्तर धारियां होती हैं। डंक मारने वाली यह मधुमक्खी होती है। इन मधुमक्खियों की अधिकता पर शहद जमा करने की मात्रा भी निर्भर करती है। मधुमक्षिकागृह के अन्दर और बाहर का सभी कार्य श्रमिक मधुमक्खियां ही करती है। श्रमकि मधुमक्खी का डंक आरी नुमा होता है। जब वह डंक मारती है, तो डंक मनुष्य के शरीर में गड़ा ही रह जाता है। कुछ समय बाद वह श्रमिक मधुमक्खी मर जाती है। मधुमक्खी के डंक लगने से शरीर में सूजन हो जाती है और दर्द भी होता है, पर इसका जहर हानिकारक नहीं होता। गठिया, जोड़ों के दर्द आदि के लिए इसे उपयोगी समझा जाता है। श्रमिक मधुमक्खी की आयु यों तो चार, पांच मास तक की होती है, लेकिन जब उन्हें काम अधिक करना पड़ता है तब वे कठिनाई से पांच, छह सप्ताह तक जीवित रह पाती हैं।

नर मधुमक्खी का काम रानी का गर्भाधान करना होता है। इसे और कोई भी काम नहीं करना पड़ता। मधुमक्षिकागृह के अन्दर ही वह छत्तों में जमा किया मधु खाता रहता है। दोपहर के समय यदि मौसम अच्छा हो तो, बाहर घूमने के लिए उड़ कर चला जाता है। यह श्रमिक मधुमक्खी से कुछ बड़ा और रानी से छोटा होता है। शरीर पर अधिक बाल होते हैं। सिर एवं पेट काले, गोल एवं चपटे आकार के बने होते हैं। जब फूल काफी खिले होते हैं तब मधु मक्षिका गृह में नर की संख्या बढ़ जाती है। जब फूल कम होते हैं और मधु भी छत्तों में अधिक नहीं होता, उस समय नर मधुमक्खियां मक्षिकागृह में बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते। छत्ते की जिन कोठरियों में नर मधुमक्खियां पैदा होती हैं, वे श्रमिक मधुमक्खियों की कोठरियों से कुछ बड़ी होती हैं और उन्हें छत्ते के निचले भाग में बनाया जाता है। श्रमिक मधुमक्खियां रानी के गर्भाधान काल में नर मधुमक्खियों को पैदा होने देती हैं, उसके बाद वे स्वयं ही उन्हें मार कर समाप्त कर देती हैं।

मधुमक्खियों की किस्में : भारत में चार प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। इनमें से सबसे बड़ी को भंवर या डिंगारा कहते हैं। यह ऊंचे पेड़ों या इमारतों पर खुले में केवल एक ही छत्ता लगाती हैं। मधु जमा करने में दूसरी किस्में इसकी बराबरी नहीं कर सकती। अंग्रेजी में इसे एपिस डारसेटा एफ० कहते हैं। इसका डंक अधिक लंबा और अधिक विषैला होता है। यह प्रायः गरम स्थानों में रहती है। 2

दूसरी प्रकार की मधुमक्खी को अंग्रेजी में एपिस इंडिका एफ० कहते हैं। केवल इसी जाति को लोग पालते हैं। चीन और जापान की मधुमक्खियां भी इसी के अन्तर्गत आ जाती हैं। यह मधुमक्खी आमतौर पर बंद अंधेरी जगहों में ही कई समान्तर छत्ते लगाती हैं, जैसे पेड़ के खोखलों में, दीवार और छत के अंदर तथा चट्टानों की दरारों में। यह प्राकृतिक हालत में पाई जाती है। पुराने ढंग से लोग इसे मिट्टी के घड़ों, लकड़ी के संदूकों, तनों के खोखलों ए
दीवार की दरारों में पालते हैं।

तीसरी प्रकार की मधुमक्खी को अंग्रेज
में एपस फ्लोरिया एफ० कहते हैं। आमतौ
पर यह मधुमक्खी को पोतींगा कहते हैं
इसका भी एक ही छोटा सा छत्ता होता है
यह झाड़ी या मकान की छत्तों पर रख
लकड़ियों आदि में अपना छत्ता लगाती है
इसके छत्ते से एक बार में अधिक
अधिक दो, तीन पाउंड तक शहद निक
आता है। इसका डंक छोटा एवं क
विषैला होता है।

चौथी प्रकार की मधुमक्खी को अंग्रेजी
मैलीपोना या डैमर कहते हैं। यह मधुमक्ख
अमरीका में अधिक पाई जाती है। अंधेरे
जगहों में, जैसे पेड़ के खोखलों और दीवा
की दरारों आदि में, यह अपना छत्ता बनात
हैं। इसके छत्तों से मधु बहुत ही कम मात्र
में प्राप्त होता है। इसका मधु आंख में लगा
के लिये अच्छा माना जाता है।

मधुमक्खियों के शत्रु : मधुमक्खियों के
अनेक शत्रु भी होते हैं। मधुमक्खियों के
पालने वाले को उनका ज्ञान होना अति
आवश्यक है, ताकि वह उनसे मधुमक्खियों
की रक्षा कर सकें। इनके मुख्य शत्रु निम्न
लिखित हैं : 1. मोमी पतिंगा, मोमी कीड़
2. अंगलार या बर्रे, 3. चींटी और चीं
4. चथुरौला, 5. भालू, 6. ड्रैगन फ
7. मकड़ी, 8. बंदर तथा 9. गिरगिटान

69, भाई परमानन्द
दिल्ली-110

परिवार नियोजन के लिए जन सम्पर्क

हरदयाल सिंह भटनागर

राष्ट्र में जनसंख्या वृद्धि वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, विधायकों, राजनीतिज्ञों, प्रशासकों आदि के लिए सर दर्द बनी हुई है। जिस गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उससे यह अनुमान होता है कि आगामी 3-4 शताब्दियों में मानव समुदाय की इतनी बड़ी भीड़ खड़ी हो जाएगी कि खड़े रहने के लिए भी स्थान नहीं मिलेगा। इस जनसंख्या वृद्धि से प्रत्येक मानव का जीवन अशान्त एवं संघर्षमय हो जाएगा, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे राष्ट्र में डेढ़ सैकिण्ड में औसतन एक बच्चा पैदा होता है और इस गति से प्रतिदिन इस राष्ट्र में 55000 बच्चों का जन्म हो रहा है। यही कारण है कि हमारे राष्ट्र की जनसंख्या अब 65 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 55 करोड़ 80 लाख आबादी इस देश की थी जबकि सन् 1951 की जनगणना में यह आबादी 36.50 करोड़ थी। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी आबादी किस गति से बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई आबादी के सम्बन्ध में विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक कोई भयंकर महामारी, भीषण अकाल और विकराल महायुद्ध बड़े पैमाने पर जन संहार करने का दायित्व न ले तब तक वस्तुस्थिति का ज्ञान करना बड़ा कठिन है।

जनसंख्या वृद्धि असीम सीमा पर होने से मानव का उत्थान रुक जाता है और राष्ट्र के आर्थिक विकास की गतिविधियाँ शिथिल पड़ जाती हैं। इंगलैण्ड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीय सर टामस मालथस ने 18वीं शताब्दी में ही यह संकेत किया था कि "एक निश्चित समय में किसी देश के खाद्यान्न उत्पादन में जितनी बढ़ोत्तरी होती है उससे कई अधिक गुनी जन संख्या बढ़ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि जनता को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता है।" सर टामस माल्थस ने यह भी अनुमान लगाया था कि "पिछले सौ वर्षों में विश्व की जनसंख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव कल्याण के लिए संतति नियमन को अपनाया जाना आवश्यक है।" यही बात भारत जैसे राष्ट्र के लिए भली भांति लागू होती है, क्योंकि इस राष्ट्र में जन संख्या वृद्धि तीव्रगति से होने से साधारण जनता को भीषण आर्थिक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं और समूचे राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है, जब कि हमारी सरकार आर्थिक विकास की ओर विशेष ध्यान दे रही है, किन्तु यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या प्राचीन काल में भी लोग संतति नियमन के पक्ष में थे, क्या वे सन्तान का कम होना अथवा सन्तान की एक बड़ी लम्बी सेना को खड़ी करने के पक्ष म थे? उस युग के विद्वानों का कहना था कि पुत्र चाहे एक ही हो पर वह चरित्र वान, बलवान हो, विद्वान् हो और देश भक्त हो (मातृ भूमि का सेवक हो)। उन्होंने मूर्ख पुत्र की तुलना बांझ गाय से की कि वो गाय किस काम की जो न बछड़ा दे और न दूध दे। ऐसे पुत्र भी क्या काम के जो न विद्वान् हों, न चरित्रवान हों और न मातृ-भूमि के सेवक हों। इस सम्बन्ध में राजस्थानी कवि ने ललकार कर कितना सत्य कहा है कि—

> जननी जने तो भक्तजन, के दाता के सूर।
> नहीं तो रहजे बांझड़ी, मति गंवावे नूर।।

प्राचीन काल में लोग केवल एक ही पुत्र का होना उचित समझते थे जो सुयोग्य हो और अपने कुल का भास्कर हो। प्रकृति की गोद में सिंहनी अपने एक पुत्र के साथ निर्भय हो कर सोती है किन्तु गधी अपने दस पुत्रों के साथ आजीवन बोझा ढोती रहती है। अतः प्राचीन युग के लोग भी "कम सन्तान सुखी इन्सान" वाली दार्शनिकता में पूर्ण विश्वास रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अधिक सन्तान होगी तो उसके लिए भोजन, शिक्षण, रक्षण आदि का पूर्ण-रूपेण प्रबन्ध करने में बड़ी कठिनाई पैदा होगी। उन लोगों का विश्वास था कि अधिक सन्तान होने से हम अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हैं। उनको पुत्र की लालसा ठीक उसी प्रकार थी जैसे अकेला एक ही चन्द्रमा आकाश में अन्धकार का विनाश करके कितना शीतल प्रकाश कर देता है जब कि लाखों टिमटिमाते तारे अन्धकार को कभी नहीं भगा सकते। अतः यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि "अधिक सन्तान दुखी इन्सान"। इस सम्बन्ध में यह राजस्थानी कहावत सत्य प्रतीत होती है —

> धन जायां कुल मेहनो,
> धन बूठां कण हांण।

(अर्थात् जिस प्रकार अधिक वर्षा होने से अन्न का नाश होता है ठीक उसी प्रकार सन्तान अधिक होने से कुटुम्ब का भी विनाश हो जाता है।)

हर दम्पति की यह प्रबल इच्छा होती है कि उनका जीवन सुख, शान्ति और समद्धि को प्राप्त हो। यह तब ही सम्भव है जब कि उसका व्यय उसकी आय के अनुसार हो। उसकी आय पर निर्भर करने वाले आश्रितों की यदि संख्या अधिक हो तो वह परिवार कदापि सुख-शान्ति की कल्पनाएं भी नहीं कर सकता है और अन्त में उनका जीवन तितर-बितर हो जाता है, क्योंकि किसी मनुष्य पर परिवार की जितनी अधिक जिम्मेदारी होगी, वह उतना ही अधिक चिन्तित होगा यानि जितने अधिक बच्चे होंगे मनुष्य उतना ही अधिक दुःखी होगा। उन बच्चों का पालन-पोषण शिक्षा और उनके भविष्य

निर्माण करने की जिम्मेदारी माता-पिता की है। इसलिए जितने अधिक बच्चे होंगे, मनुष्य उतना ही अधिक चिन्तित होगा। परिवार की चिन्ताएं ही मनुष्यों का विनाश कर देती हैं (वरीज किल दि मेन)। अतः परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए, मानसिक शान्ति प्राप्त करने की दृष्टि से और सुख-सुविधाओं का पूर्ण-रूपेण उपभोग करने के विचार से परिवार कल्याण योजना को अपनाना ही मानवता है, क्योंकि मानव के परिवार का आधार नियंत्रित एवं सुनियोजित होना चाहिए। आज विश्व के हर राष्ट्र में जन संख्या वृद्धि की समस्या पर बड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है और योजना बद्ध विकास में इस समस्या को हल करने के लिए बड़ा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समृद्धि नियोजित परिवारों पर ही निर्भर करती हैं। इस कार्यक्रम को अपनाने के लिए किसी जात-पांत, धर्म, लिंग, समुदाय आदि का प्रश्न पैदा नहीं होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक परिवार चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, सिख हो या पारसी, ईसाई हो या जैन, हरिजन हो या जनजाति आदि सब ही लोगों के कल्याण का है जो सुख एवं समृद्धि पहुंचाने में सहायक होता है। हमारे प्रधान मन्त्री माननीय श्री मोरारजी देसाई ने देश-वासियों से अपील करते हुए कहा कि "यह कार्यक्रम मुख्यतः एक व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि समूचे परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए है। हमें जन-संख्या पर नियंत्रण रखने के उपायों को प्रचारित करने के लिए प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना होगा, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए इस कार्यक्रम की सफलता अनिवार्य है" इसलिए यह कार्यक्रम केवल एक दो व्यक्तियों या दो-चार परिवारों के लोगों की भलाई का नहीं है बल्कि समूचे समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई का है। 37

परिवार कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना है जिसकी जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से स्वास्थ्य विभाग की है, किन्तु नैतिक और सामाजिक दृष्टि से विशेष जिम्मेदारी जनता जनार्दन की है, क्योंकि स्वेच्छा से इस योजना को स्वीकार करना उनकी मानवता है। हमारे प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई का कहना है कि "यह एक ऐसा मामला है जिसे केवल विभागीय प्रयास पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसे एक ऐसे राष्ट्रीय प्रयास का रूप देना होगा जिसमें सरकार और लोग मिल कर एक टीम की तरह काम करें। यह कार्यक्रम अत्यधिक महत्व-पूर्ण है इसमें तनिक भी ढील नहीं होनी चाहिए।" जनसंख्या वृद्धि ही हमारी प्रगति में मूल रूप से बाधक है। जिस परिवार में अधिक प्राणी होंगे उसमें चिन्ताएं अधिक होंगी और मानसिक अशान्ति बहुत होगी। ऐसी अवस्था में उस परिवार का जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठ सकता है, जबकि धर्मान्ध लोगों का कहना है कि बच्चे तो भगवान की कृपा से होते हैं और मनुष्य को भगवान की इच्छा में हस्पक्षेप करने का कोई अधि-कार नहीं है। ऐसे लोग कृत्रिम साधनों के प्रयोग को अनैतिक बतलाते हैं जो इस वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास का द्योतक है। समाज में फैले अंधविश्वास का मूल कारण अज्ञान और अशिक्षा है। अतः परिवार कल्याण आन्दोलन की सफलता के लिए समाज से अशिक्षा और अज्ञान को दूर करना होगा न कि इस कार्यक्रम की प्रगति के लिए जोर जबरदस्ती करनी होगी।

स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण कार्य-क्रम से सम्बन्धित कार्यकर्ताओं को अपने कार्य में पूर्ण दक्ष करे। उनमें यह भाव-नाएं पैदा करे कि यह कार्य राष्ट्र हित में करना है, मातृ भूमि की सेवा के लिए करना है और मानव मात्र को आर्थिक एवं मानसिक बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए करना है। इस समय आर्थिक सम-स्याओं के भंवर में पड़ कर हमें ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम एक जहाज के पेंदे में छेद करके समुद्री यात्रा कर रहे हों; जहाज में छेद होने से धीरे-धीरे पानी भर कर डूब जाता है, ठीक उसी प्रकार परिवार में सदस्यों की शनैः शनैः वृद्धि होने से आर्थिक कठिनाइयों में डूब कर वो परिवार भी मृतक समान हो जाता है।

परिवार कल्याण योजना के पक्ष में जन मानस तैयार करने के लिए विभाग के कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक संस्थाओं जैसे महिला मण्डल, महिला परिषद्, नवयुवक मण्डल, चर्चा मण्डल, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिकाएं और जातिगत संस्थाएं आदि का योगदान प्राप्त करना होगा। लोकतंत्र की पृष्ठभूमि में रह कर हम इन सार्वजनिक संस्थाओं, स्वास्थ्य विभाग के कार्य कर्ताओं और जनता जनार्दन में ऐसा ताल मेल बैठायें कि इस योजना के पक्ष में सही लोकमत स्थिर हो जाये।

इस सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि "इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए सामान्य जनता में से ही लोग आगे आएं और जननेताओं को सरकार की ओर से हर सम्भव सहायता की जाए। हमारी परि-स्थितियां ऐसी ह जिनमें सरकार को प्रोत्साहन तथा मार्ग निर्देशन द्वारा एक एसा वातावरण बनाना होगा जिसम जन नेता इसे पहले अपने हाथ म ल क्योंकि सफलता के लिए यही अत्यन्त आवश्यक है।" विभागीय कायकर्ताओं एवं जन नेताओं द्वारा इस योजना के ज्ञान, सुविधा और अपनाने की ओर ध्यान दिलाकर प्रत्येक नर-नारी का दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र के लाखों करोड़ों दम्पतियों में यह भावनाएं जाग्रत हों जिससे वे स्वयं अपना हित समझ कर इस कार्यक्रम को अपनावें, जो अपने राष्ट्र को सुखी और समृद्धशाली बनाने का का सच्चा मार्ग होगा।

जन मानस तैयार करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं का मनो-बल ऊंचा होना चाहिए और वे सहनशील और चरित्रवान भी होने चाहिए जिससे उनका व्यक्तिगत प्रभाव समाज पर काफी गहरा पड़ सके। उनका भी इस योजना में स्वयं का पूर्ण विश्वास हो और वे दूसरे का विश्वास प्राप्त करने की अच्छी क्षमता भी रखते हों। जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ता सदा जन सम्पर्क किया करें। जन सम्पर्क का अर्थ है कि इस राष्ट्रीय योजना की प्रवृत्तियों को जन साधारण तक पहुंचाना है यानि

परिवार कल्याण योजना के [illegible], साधनों और सुविधाओं को जन साधारण तक पहुंचा कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। अतः जन सम्पर्क का मूल प्रयोजन सामान्यतः परिवार कल्याण योजना के मौलिक उद्देश्यों और इस योजना से मिलने वाले सारे लाभों की ओर समाज को आकर्षित होने की प्रेरणा देना है। जन-सम्पर्क प्रायः तीन स्तर पर किए जाते हैं, और वे हैं :—

1. व्यक्तिगत सम्पर्क
2. सामूहिक सम्पर्क
3. सामुदायिक सम्पर्क ।

इन विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता जन सम्पर्क करके इस योजना की सफलता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं किन्तु जन सम्पर्क करते समय उन्हें निम्नांकित बातों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है :—

1. सही मार्ग दर्शन
2. सही समय
3. सही श्रोतागण
4. सही उद्देश्य

यदि इन बातों को ध्यान में रख कर कार्यकर्ता सम्पर्क करते हैं तो उन्हें आशातीत सफलता मिलने की सम्भावना हो जाती है। यदि इनमें से एक या दो बात छोड़ कर या इन सब बातों को ध्यान में नहीं रख कर जन सम्पर्क करते हैं तो वे सदा असफल रहेंगे। अतः सही ढंग से जन-सम्पर्क करना ही इस योजना के प्रचार-प्रसार का उचित माध्यम होगा। इस सम्बन्ध में जनता का सहयोग परमावश्यक है और यह तब ही सम्भव हो सकता है जब कि जनता अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग हो।

राष्ट्र में इस प्रकार के प्रयास आजादी के बाद से निरन्तर किए जा रहे हैं, जो मुख्यतः शहरों में विशेष रूप से केन्द्रित हैं जबकि राष्ट्र की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। इसलिए राष्ट्रपिता ने कहा था "भारत गांवों में बसता है" अतः इस कल्याणकारी योजना का प्रचार-प्रसारण ग्रामीण जनता में करके संतति नियमन की सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकता है। ✳

कृषक चिरन्तन गीतकार है

रमाकान्त दीक्षित

कृषक चिरन्तन गीतकार है, सदा फसल के गीत सुनाता ।
वह खेत और खलिहानों में,
श्रम-सीकर लिखता कविता ।
उसकी निश्छलता का साक्षी
है प्राची में जगमग सविता ।
हल मयूर सा नचा-नचा कर, धरती पर नव जीवन लाता ।
कृषक चिरन्तन गीतकार है, सदा फसल के गीत सुनाता

धानी चूनर ओढ़ धरा की
गाती उसके गीत निरन्तर ।
ऊसर, उर्वर में ढल जाता ।
श्रम करते ढलते मन्वन्तर ।
खुद कांटों की सेज लगाकर, परहित कुसुमित सेज सजाता ।
कृषक चिरन्तन गीतकार है, सदा फसल के गीत सुनाता ।

सीधा-साधा उसका जीवन,
हल और बैल ही उसका धन है
कुछ खेत बिछे उसकी पूंजी
खेती रोजी का साधन हैं ।
यदि वह मिट्टी को भी छूता है, उसका भी सोना हो जाता ।
कृषक चिरन्तन गीतकार है, सदा फसल के गीत सुनाता ।

वह जीवन-दाता, सुख-दाता ।
मगर अहम् का नाम नहीं है ।
कर्मठता का मंत्र लिए वह
रुचिकर उसे विश्राम नहीं है ।
उसकी लग्न और निष्ठा से, धरती का कण-कण मुस्काता ।
कृषक चिरन्तन गीतकार है, सदा फसल के गीत सुनाता ।।

श्री सनातन धर्म उच्च विद्यालय,
भिवानी-125021 (हरियाणा)

प्रकार डा० पाठक ने अपने को आलोच्य कवि की रचनाओं के औचित्य-गुणों तक ही सीमित न रखकर तटस्थ भाव से उनके दोषों पर भी विचार किया है। अपने कथ्य का उपसंहार करते हुए उन्होंने ठीक ही लिखा है कि अपनी अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की समृद्धि के बावजूद तुलसी की रचनाओं में कतिपय दोष भी आ गए हैं और इनका प्रमुख कारण तुलसी की राम के प्रति अनन्य भक्ति एवं श्रद्धा है।

अभी पिछले दिनों लोग स्वदेश और विदेशों में मानस चतुःशती समारोह मना चुके हैं। 'तुलसी के काव्य में औचित्य विधान' रचना को उसी क्रम में डा० पाठक की श्रद्धा सुमनांजलि कहा जा सकता है। इस बहुमूल्य एवं सुन्दर प्रकाशन के लिए लेखक और प्रकाशक दोनों बधाई के पात्र हैं।

डा० वीरेन्द्र कुमार बड़सूवाला

अंधेरी गली का रास्ता : लेखक : हृदयेश, प्रकाशक : लिपि प्रकाशन, मूल्य : 10 रुपये।

पढ़ने से पता चलता है कि कहानियों के शीर्षक बावई नवीन हैं। कहीं-कहीं साहित्य की वर्तमान स्थितियों का स्पर्श भी देखने को मिलता है लेकिन अधिकतर कहानियां सरल प्लाट के ताने बाने पर कुछ इस तरह फैली हुई हैं कि अगर माहौल की चित्रकारी या कहानी के नायक और मुख्य पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और सहज सम्पूर्ण चित्रण कहानी का सहारा बनते तो कहानी नीरस होकर रह जाती।

अंधेरी गली का रास्ता, फूले हुए अमलतास, पक्षधर या एक छोटा आदमी ऐसी कहानियां हैं जिनमें नवीनता का एक जाहिरा स्पर्श कहानी के साधारण उतार चढ़ाव की गंभीरता पर हावी नहीं हो सका। बनवारी लाल एक साधारण व्यक्ति है जो अपने अनुभव, निश्चय और आत्मविश्वास के बल पर घटनाओं का पारम्परिक ढंग से मुकाबला करता है। लाटरी का सिलसिला नवयुग की एक ऐसी झलक है जो कहानी के माहौल पर कोई असर नहीं डालती। इसी तरह फूले हुए अमलतास में खुद अमलतास का दृश्य भी इस कदर फैला है कि उसका संबंध न उस कर्मचारी से है जिसे बाबू रामस्वरूप कहते हैं और न उन लड़कियों से जिनकी युवावस्था, मानसिक विश्लेषण, मनोवृत्तियों और सामाजिक स्थितियों के वर्णन में लेखक की कलम रुकने का नाम ही नहीं लेती।

मजमूई तौर पर देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि हृदयेश के यहां रचना सामग्री की विभिन्नता, माहौल और सामाजिक स्थितियों का सम्पूर्ण और गम्भीर चित्रण है जिसकी तह में व्यंग की नरम-नरम आंच भी है और पाठक के लिए दिलचस्पी का निरन्तर सिलसिला भी। पक्षधर, गांधी जी की टोपी, एक छोटा आदमी और आदत ऐसी ही रचनाएं हैं जो संग्रह को पढ़ने योग्य बना देती हैं।

रामप्रकाश राही

उल्टी बही गंगा : लेखक : गुरुदत्त, प्रकाशक : राजपाल एण्ड संस दिल्ली-6, पृष्ठ संख्या 274, मूल्य 20 रु०।

भारतीय संस्कृत के उद्घोषित तथा राष्ट्रीय विचारधारा के प्रबल पोषक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुरुदत्त ने अपने नए उपन्यास 'उल्टी बही गंगा' में संयुक्त परिवार की गरिमा को कथा के ताने-बाने में बुनकर प्रस्तुत किया है। जिस परिवार में लगभग पचीस विवाहितों की संख्या है उसके मुख्य सुलखन मल और उनकी पत्नी सुलेखी है। सुलखन मल के सामने ही उसके बच्चे सम्पत्ति में बटवारा करके अपनी-अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगते हैं। अनेक घटनाचक्रों के घुमाव से बृहद परिवार के सदस्यों की स्थिति जुदा-जुदा हो जाती है। जगमोहन की विधवा मां रजनी एक संभ्रान्त और धनाढ्य मुसलमान सैय्यद अहमद कुरेशी से शादी कर लेती है। कुरेशी के पहले से नसीम और रहीमन नाम की दो बीबियां हैं। दोनों की संतानें भी हैं। दूसरी बीवी रहीमन की तीन बीबियां हैं। दोनों जरीना और नगीना से रजनी जो अब रजिया बन गई है, के दोनों बेटे राममोहन और जगमोहन शादी करके मुसलमान बन जाते हैं। किन्तु सैय्यद अहमद कुरेशी की पहली बीवी नसीमन के बेटे असलम से रहीमन की सबसे छोटी बेटी मरीना का खून हो जाता है। उधर नसीयन अपने शौहर कुरेशी को चाय में जहर देकर मार डालती है। अतः दोनों को जीवन-कारावास मिल जाता है। इन मुसलमान पात्रों के साथ ही लेखक ने मेरी, एन्ना एमिली एथन्नी आदि क्रिश्चियन पात्रों को भी कथा में गूंथा है और इस प्रकार मानो उसने पूरे भारत को एक बृहद् परिवार के रूप में कल्पित करना चाहा है।

कथा को एक रोचकता प्रदान कर गुरुदत्त जी ने यह भी कहना चाहा है कि धन का संचय संयुक्त परिवार के मुखिया की देख-रेख में होना चाहिए। लेखक की मान्यता है कि प्रयोग से बचा संचित धन अपार सामर्थ्यवाला हो जाता है। संयुक्त परिवार के संचित धन को बुद्धि और परिश्रम से पवित्र बनाए रखना चाहिए। अन्यथा यदि परिवार के सदस्यों ने उसे भर-भर चुल्लू पीना प्रारम्भ कर दिया तो वह घुम हो जाएगा। पीने वाले के उदर में विकार भी पैदा कर देगा।

गुरुदत्त जी ने कुशलता के साथ कथा से ये संदेश सौरभ के समान दे दिया है कि संचित धन को सुरक्षित ही रखना चाहिए या उसे दान-दक्षिणा जैसे पुन्य कार्यों में परिवार के प्रमुख की सम्मति के अनुसार खर्चना चाहिए। गुरुदत्त जी के अन्य उपन्यासों के समान इसमें भी उनकी भारतीय संस्कृति की विचारशीलता और उसके प्रति गहन निष्ठा के दर्शन होते हैं।

प्रो० विश्वम्बर 'अरुण'

सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणाली

धरती पर सौर ऊर्जा इतनी प्रचुर मात्रा में आती है कि उसकी केवल थोड़ी-सी मात्रा (0.02 प्रतिशत) विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। भारत सूर्य प्रकाश के मामले में समृद्ध है। यहां पर विकेन्द्रित, प्रदूषण मुक्त सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत्, प्रणालियां आसानी से स्थापित की जा सकती हैं। प्रकाशवोल्टीय प्रक्रिया में सूर्य-प्रकाश को प्रत्यक्ष विद्युत् में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा धरती के नीचे चट्टानों में रुके हुए पानी को निकाला जा सकेगा।

सैंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने सहिबाबाद में एक सौर प्रकाशवोल्टीय (पी० वी०) जल पम्पन प्रणाली की स्थापना की है। पम्पन प्रणाली मार्च, 1977 से आरम्भ हो चुकी है। यह प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा चलाए गए कार्यक्रम का एक भाग है।

इस प्रणाली के अंतर्गत प्रकाशवोल्टीय मोड्यूल सौर ऊर्जा को प्रत्यक्ष विद्युत् में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश की मात्रा के अनुपात में विद्युत शक्ति का निर्माण होता है। यही कारण है कि इस प्रकार के बिजली का उत्पादन दिन और रात के समय भिन्न-भिन्न मात्रा में होता है। भारतीय पर्यावरण में एक वर्ग मीटर में प्रति 24 घंटों में पी वी (सौर प्रकाशवोल्टीय) प्रक्रिया से 400 यूनिट विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये मोड्यूल केवल विद्युतीय ऊर्जा उप्पन्न तो कर सकते, हैं परन्तु इसका भंडारण नहीं कर सकते। उनका डिजाइन इस प्रकार बनाया गया है कि उनसे बैटरियां चार्ज की जा सकें और वे बाजार में सुगमता से उपलब्ध हो सकें। इन मोड्यूलों की मियाद 10 से 15 वर्ष तक की होगी जिसके दौरान केवल इनकी सतह को सफाई करने की आवश्यकता पड़ेगी।

सौर प्रकाशवोल्टीय मोड्यूलों के अतिरिक्त इस प्रणाली में विद्युत्, अनुकूलन उपकरण, बैटरियां, जल पम्प और एक टैंक भी शामिल है।

सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणाली के परम्परागत प्रणालियों की तुलना में कई लाभ हैं। विद्युत् उत्पन्न करने वाले यंत्र को उसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा जहां उसको काम में लाना है और इसमें पारेषण लाइनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसके रख-रखाव की लागत कम होती है। यह यंत्र इस प्रकार का बनाया गया है ताकि इसकी मरम्मत करना सरल हो, व्यय कम आए और समय भी कम लगे। इस प्रणाली-परिचालन के लिए कोई कुशल तकनीशियन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सौर प्रकाशवोल्टीय पम्पन प्रणाली भारत के उन गांवों के लिए एक आदर्श होगी जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

इस समय इस प्रणाली की लागत बहुत ऊंची है। इसका कारण यहां पर सौर (पी वी) प्रौद्यौगिकी नई है।

सौर प्रकाशवोल्टीय मोड्यूलों की वर्तमान लागत 250 रु० प्रति किलो वाट है। भविष्य में अनुसंधान और विकास के द्वारा यह लागत गिरकर 1981–82 में 50 रु०प्रति किलो वाट और 1983–84 तक 25 रु० प्रति किलो वाट होने का अनुमान है।

शुष्क क्षेत्रों में जोजोबा की खेती

भारत के शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में जोजोबा उगाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें अनेक संस्थाएं भाग ले रही हैं। जोजोबा एक मूल्यवान पौधा है, जो दक्षिणी-पश्चिमी अमरीका और मैक्सिको में पैदा होता है। यह कैलिफोर्निया और अरिजोना के बहुत बड़े भाग में उगता है तथा यह शुष्क और गर्म जलवायु में पैदा होता है।

इस पौधे के विभिन्न भागों का विभिन्न प्रयोग किया जा सकेगा। इसके फल से मशीनी तेल और जमीन पर गिरे हुए पत्तों से बहुत बढ़िया हरी खाद तैयार की जा सकेगी। इसका तेल प्रसाधनों जैसे शैम्पू, साबुन और मोमबत्ती बनाने में भी प्रयुत्त किया जाता है।

संयुक्त राज्य अमरीका में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए इस तेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है। भारत में जोधपुर स्थित केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में प्रयोग के तौर पर इसके कुछ पौधे लगाए जा चुके हैं। विशेष कर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस पौधे की बड़े पैमाने पर बागवानी करने का विचार किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक विशेष समिति का गठन किया है जिसको यह विभाग वित्तीय सहायता देगा।

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में इस पौधे के तंतुओं पर प्रयोगों के उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इससे यह आशा उत्पन्न हो गई है कि लगभग एक वर्ष में देश के शुष्क क्षेत्रों में जोजोबा को बड़े पैमाने पर उगाना संभव हो जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में पौधा लगाने से रोजगार के अधिक अवसर पैदा होने की संभावना है। इस विदेशी पौधे को बड़े पैमाने पर उगाना देश के शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने में महान वरदान सिद्ध होगा। ●

परिवार कल्याण कार्यक्रम

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ने बताया है कि जनसंख्या में वृद्धि को रोकने की दिशा में किये गये प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। वर्ष 1977 में कुछ राज्यों में आपातस्थिति के दौरान और जबर्दस्ती के तरीके अपनाने के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा था। अपने मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार संसदीय समिति की एक बैठक में बोलते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 1978–79 के आंकड़े कहीं अधिक उत्साहजनक हैं और ये आंकड़े आपातस्थिति से पूर्व के वर्ष 1974–75 के आंकड़ों से अधिक हैं। मंत्री महोदय ने बताया कि वर्ष 1978–79 के अन्तिम तीन महीनों की उपलब्धियां उसी वर्ष के नौ महीनों की उपलब्धियों के लगभग बराबर हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के परिणाम सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एक जैसे नहीं थे। कुछ उत्तरी राज्यों में जहां इस कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा था अप्रैल और मई, 1979 के दौरान पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में इसके परिणाम उत्साहजनक हैं। ये राज्य हैं—उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

दलहनों का उत्पादन

कृषि एवं सिंचाई मंत्री ने कहा है कि दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कुशल विपणन व्यवस्था तथा मूल्य प्रोत्साहन का काफी महत्व है। सरकार तिलहनों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन व सूरजमुखी और दलहनों में अरहर, चना, मूंग व उड़द के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करती आ रही है। इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि समर्थन मूल्य की सुविधा सीमान्त किसानों को भी मिल सके। उन्होंने कहा कि दलहनों व तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने की इस वर्ष की नीति यह है कि इन फसलों की खेती भी सिंचित फसल क्षेत्रों में शुरु की जाये। यदि इस नीति को निष्ठा व गति के साथ लागू किया जायेगा तो इन फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि होने के आसार हो जायेंगे। उन्होंने इस कृषि वर्ष में इस उद्देश्य से बनाये गये सभी कार्यक्रमों को पूरा-पूरा समर्थन दिये जाने का विश्वास दिलाया। मंत्री महोदय ने घोषणा की कि नारियल विकास बोर्ड का गठन शीघ्र ही कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से मूंगफली के उत्पादन व विपणन व्यवस्था को एक समन्वित ढंग से पुनर्गठित करने की एक कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा, नीम, करंज, महुआ जैसे तेल वाले वृक्षों को भी वनरोपण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। धान की भूसी, बिनौले, आम की गुठली आदि से भी तेल निकालने के लिये भी योजनायें बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन उपायों से देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि होगी।

लघु उद्योगों

लघु उद्योगों में 1974–78 की अवधि में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ये लघु उद्योग 5 हजार से अधिक आम उपभोग की वस्तुएं अथवा सहायक वस्तुएं तैयार करते हैं। इस दौरान लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों की संख्या 2.16 लाख से बढ़कर 3.19 लाख हो गई और लघु उद्योग विकास संगठन के पास पंजीकृत इकाइयों का कुल उत्पादन 4,900 करोड़ रु० से बढ़कर 8,500 करोड़ रु० हो गया। लघु उद्योग क्षेत्र देश के कुल उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत भाग तैयार करता है। गैर-परम्परागत वस्तुओं में, जो निर्यात की जाती हैं, इसका हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है। औद्योगिक विकास की नई कार्यनीति और दिसम्बर, 1977 में जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव पास किया गया है उसमें कुटीर और लघु उद्योगों को ग्रामीण इलाकों और छोटे नगरों में अधिक व्यापक ढंग से फैलाने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना तथा परम्परागत और लघु उद्योगों को विकसित करना और उन्हें सशक्त बनाना है और साथ ही इसका उद्देश्य नये लघु उद्योगों के सघन विकास में भी मदद देना है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1978–79 में लगभग 15 लाख प्रौढ़ व्यक्तियों को लिखना-पढ़ना सिखाया गया। वर्ष 1979–80 के दौरान 45 लाख प्रौढ़ों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में उत्साहजनक रुचि दिखाई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए मार्ग निर्देशों में विश्वविद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा तथा विस्तार कार्यक्रमों को समग्र जिम्मेदारी के रूप में अपनाने और इसे विशेष महत्व देने के लिये कहा गया है। यह महसूस किया गया है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा देश के विकास में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने को उच्च प्राथमिकता दी है। वर्ष 1978–83 योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये 900 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है जबकि पांचवीं योजना में कुल 410 करोड़ रु० की व्यवस्था थी। शिक्षा में पिछड़े राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने के लिये 50 करोड़ रु० दिये जायेंगे।

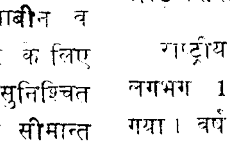

मद्रास के समीप कपास की खेती का एक दृश्य

कपास की खेती भारत के प्रायः सभी राज्यों में की जाती है। 1978-79 में लगभग 80 लाख हैक्टेयर में कपास की खेती की गई जबकि इसके मुकाबले 1977-78 में 78 लाख हैक्टेयर में ही की गई थी। 1978-79 में देश में कपास का उत्पादन 76 लाख गट्ठे बताया जाता है जबकि यह उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से 7.6% अधिक है।

सुजाता कपास का पौधा

निदेशक प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।

Regd. No. D(D) 98

विश्व बाल वर्ष
1979

विश्व बाल वर्ष 1979 में बच्चों के लिए विशेष पुस्तकें

* **श्री कृष्ण कथा**—ले. सीताराम चतुर्वेदी (गीता के जन्मदाता भगवान श्री कृष्ण की जीवन कथा एक नए रूप में—सरल भाषा में—सचित्र)— रु० 8-00
* **पर्वत देवता**—ले. राधेश्याम शर्मा (संसार की प्रसिद्ध लोक-कथाओं से चुनी हुई 11 मनोरंजक कहानियां-सचित्र)— रु० 5-00
* **असली जीमाकड़े**—ले. विमला मेहता (राजस्थान की चुनी हुई 14 लोक-कथाएं-सचित्र)— रु० 7-50
* **तेन्दुआ और चीता**—ले. रामेश बेदी (तेन्दुआ और उसकी बिरादरी के अन्य जानवरों की विस्तृत व रोचक जानकारी-सचित्र)— रु० 8-00
* **पहेलियां**—संकलनकर्ता: सूर्यनारायण सक्सेना (भारत में प्रचलित 540 पहेलियों का संग्रह)—रु० 7-50

अंग्रेजी में

* **चिल्ड्रन्स महाभारत**
  ले. माथुराम भूतलिंगम- रु० 6-50
* **एडवेन्चर्स आफ ए स्पेस क्राफ्ट**
  ले. मोहन सुन्दर राजन— रु० 10-00
* **थिंग्ज आफ ब्यूटी**
  ले. विद्या दहीजिया — रु० 12-50
* **टू फार-आफ लैंड्स लाँग एगो**
  ले. कृष्णचैतन्य· रु० 8-00

उर्दू में :—

* **पहेलियां·** —स ·शहबाज़ हुसैन
  — नंद किशोर विक्रम रु० 8-00

आगामी प्रकाशन

कहानियां बच्चों के लिए (बंगाली), टैगोर की कहानियां, बच्चों के लिए (हिन्दी) उपनिषद की लोक कथाएं (हिन्दी), विश्व की लोक कथाएं (हिन्दी, असमिया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम) आदि।

हमारी सुप्रसिद्ध व लोकप्रिय पत्रिका "बालभारती" (मासिक) के वार्षिक ग्राहकों को 5 रु० या इससे अधिक की पुस्तकें खरीदने पर 20 प्रतिशत छूट—वार्षिक चन्दा 9 रु०।

डाक खर्च मुफ्त। 10 रु० से कम के आदेश पर पंजीकरण शुल्क अतिरिक्त भेजिए। पुस्तकें स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं से लें या सम्पूर्ण बाल साहित्य की जानकारी के लिए लिखें :-

व्यापार व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

* पटियाला हाउस, नई दिल्ली।
* सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली।
* 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता।
* कामर्स हाउस (दूसरी मंजिल), करीमभाई रोड, बेलर्ड पीयर, बम्बई।
* शास्त्री भवन, 35, हैडोज रोड, मद्रास।
* बिहार स्टेट को-आपरेटिव बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना।
* प्रेस रोड, त्रिवेन्द्रम।

डीएवीपी 79/121